जोश और जुनून की टीम सीजीटीएमएसई

सीजीटीएमएसई का पंजीकृत कार्यालय

स्वावलंबन भवन, सिडबी, पहली मंजिल, सी –11, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051।

टेलः +91–22–67221553; टोल फ्रीः 1800 222 659

www.cgtmse.in | @CGTMSEOfficial | @CGTMSEOfficial | CGTMSE Youtube Channel

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises | Annual Report 2021-22

22वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

cgtmse

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार एवं सिडबी द्वारा स्थापित)

आपके सपनों की,

उड़ान को दे पंख

विषय सूची

क्रम सं.	विषये	पृष्ठ सं.
1	प्रेषण पत्र	1
2	अध्यक्ष का वक्तव्य	2
3	न्यासी मंडल	3
4	एमएसई क्षेत्र: अवलोकन और विकास की संभावनाएं	4
5	सीजीटीएमएसई के बारे मे	7
6	एमएलआई द्वारा संचालित उपस्थिति द्वारा प्रचालित	8
7	मूल्य–संचालित योजनाओं के माध्यम से प्रगति को सक्षम बनाना	10
8	परिचालन पर एक नज़र	12
9	प्रदर्षन द्वारा संचालित, वर्ष 2021–22 के लिए रणनीतियों द्वारा प्रचालित	13
10	सपनों की उड़ान के लिए विकास	19
11	भविष्य की ओर हमारी जारी यात्रा...	20
12	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	21
13	विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग	22
14	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	24
15	वित्तीय विवरण	26

प्रेषण पत्र

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट,
स्वावलंबन भवन, सिडबी, पहली मंजिल,
सी –11, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051

10 अक्टूबर, 2022

प्रति,
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,
भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई)
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, 'ए' विंग,
मौलाना आज़ाद रोड,
नई दिल्ली – 110 108

अध्यक्ष और प्रबंध निदेषक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रधान कार्यालय, सिडबी टॉवर,
15, अषोक मार्ग लखनऊ – 226 001

प्रिय महोदय,

भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अवस्थापकों द्वारा निष्पादित ट्रस्ट की घोषणा के खंड 14.2 के संदर्भ में, हम निम्नलिखित दस्तावेजों को एतद्वारा अग्रेषित करते हैः

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के लेखापरीक्षित खातों की एक प्रति, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और

2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के कार्यकलापों पर रिपोर्ट की एक प्रति।

भवदीय,
हस्ता./– (संदीप वर्मा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः मुंबई

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय हितधारकों,

अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अपने प्रदर्षन की घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुषी हो रही है।

महामारी के कारण पिछले कुछ साल चुनौतीपूर्ण रहे हैं और इस अवधि आगे बढ़ते हुए हम सभी अप्रत्याषित परिस्थितियों के लिए अधिक लचीला और बेहतर तरीके से तैयार हो गए हैं। आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने, लॉकडाउन में आसानी और तेजी से टीकाकरण अभियान के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021–22 में 8.7% की दर से बढ़ी।

भूराजनीतिक संघर्षों के कारण वर्तमान परिचालन वातावरण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मुद्रास्फीति का दबाव है। लेकिन हम उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपने जुनून से प्रेरित हैं, क्योंकि हम लगातार अपने रणनीतिक प्रयासों की दिषा में प्रयास करते हैं। लाखों महत्वाकांक्षी उद्यमियों के विश्वास से प्रेरित, हम उद्यम निर्माण को बढ़ावा देकर राष्ट्र में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार नौकरी चाहने वालों के प्रति रोजगार सृजनकर्ताओं के लिए एक वातावरण का निर्माण करते हैं।

सूक्ष्म की व्यापक सर्वव्याप्ति और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाता है, जो देष के सतत विकास को चलाता है। इस क्षेत्र की जीवंतता को घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों के लिए निर्मित उत्पादों/ सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला में समझाया गया है, जो सरकारों/ हितधारकों से नीतिगत समर्थन द्वारा समर्थित है।

22 वर्षों की अपनी यात्रा में, सीजीटीएमएसई ने क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के माध्यम से एमएसई के लिए क्रेडिट वृद्धि के रूप में कार्य किया है, इसने एमएसई क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा किया है। सीजीटीएमएसई की चार मुख्य योजनाएं हैं, जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएस –1), एनबीएफसी के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएस –2), अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) और पीएम स्वनिधि (सीजीएस–पीएमएस) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना।

वंचित क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने के हमारे प्रयास में, सीजीटीएमएसई ने बैंकों और एनबीएफसी द्वारा संयुक्त रूप से ऋण के विस्तार के लिए सह–उधार मॉडल (सीएलएम) गारंटी योजना शुरू की। सह–उधार मॉडल (सीएलएम) के तहत बैंकों और एनबीएफसी द्वारा सह–उधार के लिए गारंटी कवर के विस्तार के परिणामस्वरूप एमएसई को ऋण के प्रवाह में सुधार होगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

सीजीटीएमएसई लगभग 100% गारंटी द्वारा समर्थित विषेष ऋण गारंटी योजना को लागू करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रहा है, जो ऋण देने वाले संस्थानों को एमएसई के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने में मदद करेगा और उद्यम निर्माण को बढ़ावा देगा।

सीजीटीएमएसई का मानना है कि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना एमएसई की बढ़ती संख्या के लिए सीजीएस के माध्यम से क्रेडिट अभिवृद्धि में अपने उद्देष्य का अभिन्न अंग है। इससे वे अपेक्षित प्रयासों के लिए समर्थ हो पाते है। हमने उस प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है, जिस पर बैंक गारंटी दाखिल करने के लिए लेनदेन करते हैं, जिससे निर्बाध कामकाज और बेहतर परिचालन दक्षता की सुविधा मिलती है। इससे एमएलआई को एमएसई क्षेत्र हेतु संपार्श्विक मुक्त ऋण के प्रवाह को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

हम भविष्य के बारे में आषावादी हैं और संपार्श्विक मुक्त ऋण का समर्थन करने के लिए अभिनव योजनाओं को पेष करके एमएसई की विकास यात्रा में सेवा करने के लिए तत्पर हैं। इसके साथ ही, हम लाखों उद्यमियों के सपनों को पंख देने और उनके प्रयासों में उनका समर्थन करने के लिए अपनी रणनीतियों और क्षमताओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

मैं बोर्ड के सदस्यों, सभी ऋणदाताओं/एमएलआई और सीजीटीएमएसई टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डटे रहे। मैं अपने हितधारकों का भी आभारी हूं कि उन्होंने हमारे दृष्टिकोण में विश्वास किया, जिससे हमें राष्ट्र निर्माण की दिषा में हमारी घटनापूर्ण और भावुक यात्रा जारी रखने में मदद मिली। इसके अलावा, मैं हमारे साथ एक बेहतर कल बनाने और हमारे देष के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारे भविष्य के सहयोगियों और हितधारकों का गर्मजोषी से स्वागत करता हूं।

हमारा जुनून और प्रतिबद्धता हमारे आगे का मार्ग प्रषस्त कर रही है...

सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस,

अध्यक्ष, सीजीटीएमएसई

सीजीटीएमएसई का न्यासी बोर्ड

(यथा 1 सितंबर, 2022 के अनुसार)

श्री सिवसुब्रमणियन रमण | आईए एंड एएस, अध्यक्ष (पदेन अधिकारी)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेषक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रधान कार्यालयः 'सिडबी टॉवर', 15, अषोक मार्ग, लखनऊ – 226 001

श्री शैलेश कुमार सिंह | आई.ए.एस. उपाध्यक्ष (पदेन अधिकारी)

अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)
एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, 'ए' विंग, 7वीं मंजिल,
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली – 110 108

श्री अतुल कुमार गोयल | सदस्य (पदेन)

अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
पंजाब नेषनल बैंक के प्रबंध निदेषक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
प्लॉट सं. 4, सेक्टर – 10, द्वारका नई दिल्ली – 110 075

श्री संदीप वर्मा | सदस्य सचिव

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)
पहली मंजिल, स्वावलंबन भवन, सिडबी, सी –11,
जी–ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051

एमएसई क्षेत्र: सिंहावलोकन और संवृद्धि की संभावनाएं

अर्थव्यवस्था

विभिन्न चुनौतियों से गुजरने के बाद, आज भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वित्त वर्ष 2021–22 की शुरुआत कोविड–19 मामलों की धटनी में कमी के साथ सकारात्मक रुख के साथ हुई, इसके बाद महामारी से संबंधित प्रतिबंधों में ढील दी गई और तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया गया, इस प्रकार अर्थव्यवस्था के धीरे–धीरे पटरी पर आने का समर्थन किया गया। सामान्य स्थिति की बहाली के अनुकूल, वित्त वर्ष 2021–22 में जीडीपी वृद्धि 8.7:% दर्ज की गई – जो वित्त वर्ष 2019–20 के वास्तविक जीडीपी से 1.5% अधिक है. इसके अलावा, भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022–23 की पहली तिमाही में 13.5% की दो अंकों की वृद्धि दर दर्ज की गई।

हालांकि, विकास दर में वृद्धि के साथ, देष ने मुद्रास्फीति में वृद्धि भी देखी, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 50 आधार अंकों तक संषोधित करने का फैसला किया और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए 5.4% पर पहुंच गया। इसका सीधा सा मतलब था कि बैंकों को आरबीआई से पैसा उधार लेने के लिए ज्यादा ब्याज देना होगा। इस उपाय ने सकारात्मकता को प्रतिबिंबित किया और मांग के साथ–साथ लोगों की क्रय शक्ति को कम करके मुद्रास्फीति को कम करने में मदद की।

एमएसई सेक्टर का अवलोकन[1]

एमएसई क्षेत्र देष की विकास यात्रा का समर्थन करने में भारत सरकार के लिए स्तंभ है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन, विनिर्माण का समर्थन करने, निर्यात के प्रबंधन और अवसरों को लाने के माध्यम से वैश्विक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में एमएसएमई के लिए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, सरकार ने कई योजनाएं शुरू कीं। इसके लिए, एमएसई क्षेत्र पीढ़ियों के सपने को साकार करेगा और विषेष इस दृष्टि को सषक्त बनाकर और वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू–राजनीतिक स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव के सर्वोत्तम समाधान के रूप में कार्य करके 'आत्मनिर्भर भारत' का समर्थन करेगा।

एमएसएमई हमारे देष के औद्योगिक विकास के लिए एक शक्तिषाली स्तंभ हैं। एमएसई और एमएसएमई क्षेत्र पर सरकार के ध्यान ने देष में सतत विकास को सक्षम बनाया है। 'मेक इन इंडिया', 'वोकल फॉर लोकल' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलकदमियों के साथ, सरकार इस क्षेत्र का समर्थन और अधिक मजबूती से कर रही है। ये योजनाएं एमएसई की प्रक्रिया का समर्थन करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, निवेष को आसान बनाने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, कौषल विकास को बढ़ावा देने और एक व्यवहार्य पारितंत्र का निर्माण करने के लिए अभिकल्पित की गई हैं।

(स्रोत–*https:@@www-ibef-org@industry@MSME*–प्रस्तुति)

विकास के संचालक

सरकार द्वारा समर्थित योजनाएं और नीतियाँ

- खादी और ग्रामोद्योग के लिए नीति
- औद्योगिक नीति समाधान मूल्य
- निर्धारण नीति
- वस्त्र नीति
- हथकरघा उद्योग के विकास के लिए नीति, और उत्तरोत्तर

सरकारी और गैर–सरकारी वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने में पर्याप्त विकल्प और सुगमता जैसेः

सिडबी – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

एनएसआईसी – राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

नाबार्ड – राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

एसआईएसआई – लघु उद्योग सेवा संस्थान

एसआईडीओ – लघु उद्योग विकास संगठन

एनआईईएसबीयूडी– उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास के लिए राष्ट्रीय संस्थान

प्रौद्योगिकी उन्नयन

- स्वचालित मषीन जो संचालित करने में आसान हो और
- तकनीकी नवाचार जो षिक्षा और कौषल संपन्न लोगों के लिए नौकरियां प्रदान करने में मदद करता है

नूतन कार्यक्षेत्र

- उत्पादन से सेवा क्षेत्र की ओर

एमएसई क्षेत्र[2] पर कोविड का प्रभाव

भारत में उद्यमों की अनुमानित संख्या 63 मिलियन है और यह क्षेत्र 110 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार देता है। एमएसई क्षेत्र ने स्थानीय और वैश्विक खपत के लिए 6,000+ उत्पादों का उत्पादन किया है।

कोविड–19 मामलों की आक्रांत करने वाली संख्या ने राष्ट्रव्यापी तालाबंदी को जन्म दिया और चीजों को मुष्किल बना दिया। कोविड–19 महामारी ने राष्ट्र को प्रभावित किया और देष के परक स्थिति को समतल कर दिया। परिणामस्वरूप, एमएसई क्षेत्र–भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की कार्यक्षमता की केंद्रीय धुरी–को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। वित्त वर्ष 2020–21 में खपत, औद्योगिक उत्पादन और मांग में गिरावट देखी गई, जो अर्थव्यवस्था पर सूक्ष्म प्रभाव के रूप में परिलक्षित होती है।

कोविड–19 के दौरान, लॉकडाउन ने एमएसई के मालिकों, हितधारकों और कर्मचारियों को एक अप्रत्याषित चरण में खींच लिया। इस क्षेत्र को मजदूरी/वेतन, ऋण पुनर्भुगतान और सांविधिक बकायों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसने आय को 20–50% तक प्रभावित किया

जिससे उत्पन्न तरलता संकट से इस क्षेत्र को और अधिक विकराल स्थिति से जुझना पड़ा तरलता संकट के कारण इस क्षेत्र को अधिकतम गर्मी की स्थिति की ओर ले जाता है।

आउटलुक[3]

एमएसई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दुनिया भर में अधिकांष व्यावसायिक हिस्सेदारी रखते हैं, जो देष के आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान देते हैं। 2025 तक भारत के 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है और एमएसएमई इस प्रगति का एक महत्वपूर्ण चालक होगा। समग्र गति को पर्याप्त संसाधनों, निधियों और सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं द्वारा समर्थित किया जाता है। अनुसंधान के अनुसार, एमएसई 90% व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया भर में 50% से अधिक रोजगार उत्पन्न करते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक, बढ़ते वैश्विक कार्यबल को पूरा करने के लिए 600 मिलियन नौकरियों की आवष्यकता होगी जो 'आत्मनिर्भर भारत' का समर्थन करेगी। विकासों के इस विष्टि संदर्भों में, एमएसई अपनी क्षमता के अननुरूप कम दोहन किया हुआ क्षेत्र को असंगत क्षमता कहा जा सकता है, जिसका उपयोग प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, बढ़ती जागरूकता और प्रगति की दिषा में अन्य प्रमुख विकासपरूआयासों का स्वागत करने की तैयारी करके किया जा सकता है।

[2](स्रोत-https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/agyeya/covid-19-affect-on-micro-small-and-medium-enterprises-msmes/)

[3](स्रोत https://www.ibef.org/industry/msme | स्रोत https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance)

सीजीटीएमएसई के बारे में

उद्यमी की उड़ान का समर्थन करने वाले विचारों को पंख देना

2000 में स्थापित, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट ('सीजीटीएमएसई' या 'हम' या 'ट्रस्ट') ने कई उद्यमशीलता के सपनों को पूरा करने और उनकी सफलता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीजीटीएमएसई को संयुक्त रूप से एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा स्थापित किया गया था और न्यासी बोर्ड द्वारा नेतत्व–प्रबंध किया गया था। हमारी यात्रा एक योजना की शुरुआत के साथ शुरू हुई, और अनंतर, कालक्रम में हमारी पेषकष चार योजनाओं तक विस्तृत हुई है, जिससे कढ़ी अधिक सपनों के उद्यमों को उड़ान मिली है। हमारा समग्र दृष्टिकोण और जुनून हमें वित्त तक उनकी पहुंच की सुविधा प्रदान करके अप्रयुक्त और अल्पसेवित भौगोलिक क्षेत्रों में उद्यमियों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। हम उन विचारों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो रोजगार की तलाष करने के बजाय नौकरियों के निर्माता बनकर राष्ट्र को प्रेरित करते हैं।

सीजीटीएमएसई बैंकों और कई एनबीएफसी के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, और कई अन्य एमएसई के लिए पहिया चलाना, उन्हें उन व्यवसायों को शुरू करने में मदद करता है जिनके पास औपचारिक बैंकों / एनबीएफसी (गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी, आदि) से क्रेडिट तक पहुंचने के लिए संपार्श्विक सुरक्षा और तृतीय–पक्ष गारंटी की कमी होती है। हम गारंटी प्रदान करके और उनके लिए भण्ण–सहायता को सुकर बनते हुए पहली पीढ़ी के उद्यमियों और एमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों) की मदद करने की भूमिका निभाते हैं। हमारी आषावदिता हमारा महत्तर उद्देष्य है– उद्यमियों की नम्यता के मिश्रण से फलीभूत एक ऐसी उपलब्धि है, जिनोकी उदमा सफलता और प्रेरक कहानियों में होती है। उत्साहधर्मिता द्वारा समर्थित और विश्वास द्वारा संचालित सुसंगत प्रयासों के माध्यम से आषा और दया के भाव से स्पंदित होकर राष्ट्र–निर्माण की दिषा में योगदान देना।

एमएलआई की सशक्त भूमिका सक्रियता की गौरवशाली परिण्याप्ति

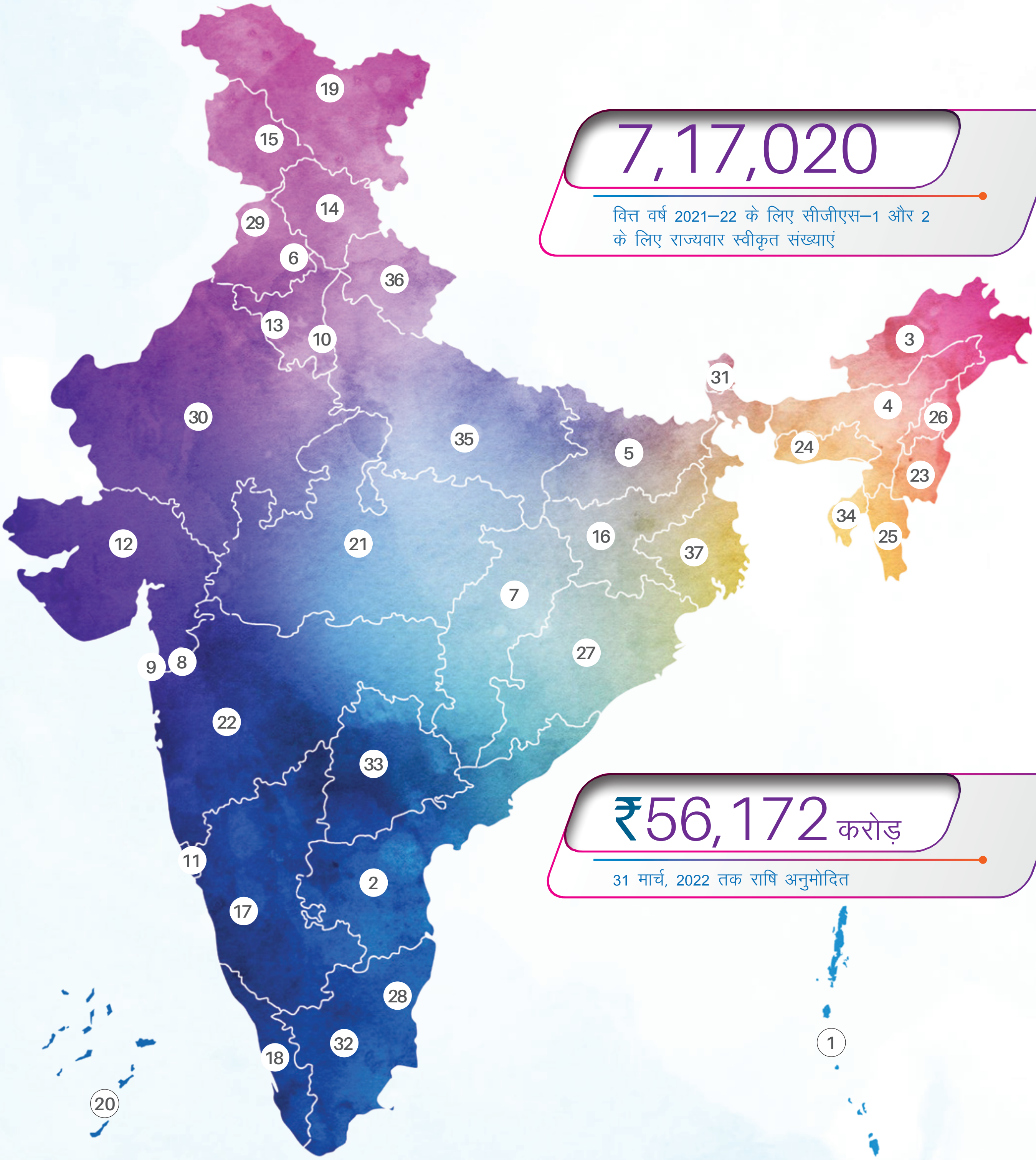

7,17,020

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सीजीएस–1 और 2 के लिए राज्यवार स्वीकृत संख्याएं

₹56,172 करोड़

31 मार्च, 2022 तक राषि अनुमोदित

अस्वीकरण: यह नक्षा केवल पाठक को स्थानों को समझने में आसानी के लिए एक सामान्यीकृत चित्रण है और इसका उपयोग उद्देष्यों के संदर्भ हेतु नहीं किया जाता है। राजनीतिक सीमाओं का प्रतिनिधित्व और भौगोलिक विषेषताओं/राज्यों के नाम आवष्यक रूप से वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। कंपनी या उसके किसी भी निदेषक, अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी जानकारी या डिजाइन के दुरुपयोग या गलत व्याख्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कंपनी अपनी सटीकता या पूर्णता के लिए किसी भी प्रकार के कनेक्षन की वारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

वित्त वर्ष 2021–22 में सीजीएस – 1 और 2 के लिए राज्यवार गारंटी कवरेज

क्रम सं.	राज्य/यूटी (संघ राज्य क्षेत्र) (उल्लिखित मानचित्र का अनुसरण किया गया है)	गारंटी की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार	374	35
2	आंध्र प्रदेश	49,848	1,456
3	अरुणाचल प्रदेश	628	82
4	असम	14,918	1,262
5	बिहार	24,217	1,661
6	चंडीगढ़	1,382	159
7	छत्तीसगढ़	9,670	776
8	दादर और नगर हवेली	303	64
9	दमन और दीव	144	38
10	दिल्ली	15,810	2,769
11	गोवा	2,218	173
12	गुजरात	34,929	4,836
13	हरियाणा	22,285	2,707
14	हिमाचल प्रदेश	10,075	792
15	जम्मू और कश्मीर	38,352	1,295
16	झारखंड	12,953	1,247
17	कर्नाटक	41,028	4,308
18	केरल	18,937	1,104
19	लद्दाख	205	23
20	लक्षद्वीप	11	1
21	मध्य प्रदेश	64,108	2,651
22	महाराष्ट्र	56,027	6,840
23	मणिपुर	1,294	101
24	मेघालय	886	93
25	मिजोरम	1,029	86
26	नागालैंड	1,692	139
27	ओडिशा	25,788	1,801
28	पुदुचेरी	1,013	74
29	पंजाब	23,172	1,661
30	राजस्थान	38,622	2,553
31	सिक्किम	479	34
32	तमिलनाडु	44,897	4,134
33	तेलंगाना	24,009	1,959
34	त्रिपुरा	2,020	115
35	उत्तर प्रदेश	86,616	5,628
36	उत्तराखंड	10,048	629
37	पश्चिम बंगाल	37,033	2,887
	कुल	**7,17,020**	**56,172**

एन.बी. : मध्यवर्ती निरस्तीकरण/संषोधनों के कारण वास्तविक विवरण अलग–अलग हो सकते हैं।

मूल्य–आधारित योजनाओं से प्रगति को सशक्त बनाना

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) जुलाई 2000 में एमएसएमई मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।

सीजीटीएमएसई गैर–सेवित और अल्पसेवित भौगोलिक क्षेत्रों के लिए वित्त तक के अभिगम को सुगम बनाता है, जिससे नई पीढ़ी के उद्यमियों को पारंपरिक उधारदाताओं से वित्त उपलब्ध होता है और संपार्श्विक प्रतिभूति सुरक्षा और / या तृतीय–पक्ष गारंटी के साथ उनके ऋण प्रस्ताव के लिए समर्थन की कमी होती है। इसका मुख्य उद्देष्य यह है कि ऋणदाता को परियोजना व्यवहार्यता को महत्व देना चाहिए और वित्तपोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा पर विषुद्ध रूप से क्रेडिट सुविधा को सुरक्षित करना चाहिए। पिछले 22 वर्षों में, सीजीटीएमएसई ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र में इकाइयों हेतु ऋण के प्रवाह को बढ़ाने का प्रयास करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में खुद को स्थापित किया है। एक योजना के साथ अपनी यात्रा शुरू करने के बाद, हमने चार प्रमुख योजनाओं का विस्तार किया है, जो सफलता की दिषा में कई उद्यमियों के सपनों को प्रतिबद्वता के साथ बढ़ावा दे रहे हैं।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएस–1)

यह योजना जुलाई 2000 में शुरू की गई थी। एमएसई और ऋण देने वाले संस्थानों की आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें सक्रिय रूप से सुधार किया जा रहा है। इस योजना के तहत कवर की जाने वाली ऋण सुविधाएं निधि और गैर–निधि–आधारित सुविधा (आईईएस) दोनों हैं इसमे प्रति उधारकर्ता/इकाई 200 लाख रुपये, तक धनराषि संपाष्विक प्रतिभूति तृतीयक पक्ष गारंटी के बढ़ाई गई। एमएसई में एक नए या मौजूदा उधारकर्ता को सुरक्षा या तृतीय–पक्ष गारंटी आंषिक संपार्श्विक सुरक्षा के साथ, क्रेडिट सुविधाओं के अप्रत्याहूत हिस्से को 'हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल' नामक अलग उत्पाद के तहत कवर किया जा सकता है।

एनबीएफसी के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएस–II)

एमएसई पारितंत्र में एनबीएफसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एमएसई क्षेत्र द्वारा ऋण तक कठिनाइयों से मुक्त पहुंच की प्रक्रिया में विषेष रूप से एनबीएफसी के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस –2) तैयार की गई थी। यह योजना जनवरी 2017 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) में उधारकर्ताओं को पात्र एनबीएफसी द्वारा दी गई क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में गारंटी प्रदान करने के उद्देष्य से शुरू की गई थी। एनबीएफसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को व्यापक बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र में विविधीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी)

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जून 2020 में तनावग्रस्त एमएसई योजना हेतु अधीनस्थ ऋण योजना के तहत संकटग्रस्त संपत्ति निधि शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देष्य बैंकों के माध्यम से तनावग्रस्त एमएसई के प्रवतीकों को व्यवसाय में इक्विटी /अर्ध इक्विटी के रूप में निवेष के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिषानिर्देषों के अनुसार इसका उद्देष्य ऋण सुविधाओं के संबंध में गारंटी प्रदान करना है।

पीएम स्वनिधि (सीजीएस–पीएमएस) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के सहयोग से जुलाई 2020 में एक विषेष योजना पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (सीजीएस–पीएम स्वनिधि) लागू हुई। यह योजना कोविड–19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स का समर्थन किया जा सके, जो समाज की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हैं। इस योजना के तहत सभी स्ट्रीट वेंडर पात्र उधारकर्ता शहरी क्षेत्रों में हैं। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक रूप देने में मदद करेगी और आर्थिक सीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के लिए नए अवसर खोलेगी।

परिचालन विशेषताएं

महत्वपूर्ण विशेषताएं

सूक्ष्म और लघु उद्यम

एमएसई के लिए, हम 200 लाख रुपये तक गारंटी कवरेज प्रदान करते हैं (आरआरबी और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के लिए क्रेडिट सुविधा के लिए गारंटी कवरेज ₹50 लाख पात्र है)

75-85% कवरेज

कवरेज 85% (सूक्ष्म उद्यम) से 75% तक होता है और कवरेज का 50% खुदरा और थोक गतिविधियों पर लागू होता है

योग्य गतिविधि

आपके संस्थानों, सेवाओं, खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पात्र हैं

100 से अधिक पंजीकृत सदस्य ऋण संस्थान (MLIs)

इसमें शामिल हैं

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- निजी बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- वित्तीय संस्थान
- विदेशी बैंक
- लघु वित्त बैंक
- गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियां
- अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
- गैर–अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
- जिला–केंद्रीय सहकारी बैंक

प्रदर्शन की विशेषताएं

वित्त वर्ष 2021-22 ₹ 57,920 करोड़

सामान्य सीजीएस	₹ 28,083 करोड़
खुदरा व्यापार	₹ 11,214 करोड़
हाइब्रिड सुरक्षा	₹ 3,165 करोड़
एनबीएफसी	₹ 13,709 करोड़
पीएम स्वनिधि	₹ 1,717 करोड़
सीजीएसएसडी	₹ 32 करोड़

वर्ष 2021–22 के लिए कार्यनीतियाँ और कार्यनिष्पादन

सीजीटीएमएसई के कार्यनिष्पादन की झलकियाँ

1. सीजीटीएमएसई की समग्र निधि

- ट्रस्ट की 2,500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक समूह निधि का योगदान भारत सरकार (जीओआई) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में किया गया था। ट्रस्ट की प्रतिबद्ध निधि को अब भारत सरकार (7,000 करोड़ रुपये) और सिडबी (500 करोड़ रुपये) द्वारा योगदान राषि को 7,500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। ट्रस्ट को भारत सरकार (जीओआई) से संपूर्ण वर्धित प्रतिबद्ध निधि प्राप्त हुई है, जिससे कुल समूह राषि 7,500 करोड़ रुपये हो गई है।

- *इसके अतिरिक्त, सीजीटीएमएसई को तमिलनाडु ऋण गारंटी योजना (टीएनसीजीएस) के संचालन के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से 15 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसका उपयोग सीजीटीएमएसई द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा सीजीटीएमएसई को तमिलनाडु राज्य में स्थित एमएसई इकाइयों के लिए अतिरिक्त गारंटी कवर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना हेतु 157 करोड़ रुपये और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार से पीएम स्वनिधि के लिए 284 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है।*

2. सदस्य ऋणदाती संस्थाएं (एमएलआई)

- समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सीजीएस–I के लिए ट्रस्ट के एमएलआई की संख्या 95 है, जहाँ 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 21 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 6 विदेषी बैंक, 9 अन्य वित्तीय संस्थान, 6 लघु वित्त बैंक और ट्रस्ट से गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए 19 सहकारी बैंक पंजीकृत एमएलआई हैं।सीजीएस–II के तहत 41 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को एमएलआई के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, 36 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सीजीटीएमएसई के एमएलआई के रूप में अधीनस्थ ऋण (सीजीएसएसडी) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत पंजीकृत किया गया है और 149 ऋण देने वाले संस्थानों (एलआई) को पीएम स्वनिधि के तहत सीजीटीएमएसई के साथ पंजीकृत किया गया है। वित्त वर्ष 2022 के अंत तक सभी योजनाओं के लिए सीजीटीएमएसई के एमएलआई की कुल संख्या 321 थी।

3. सभी गारंटी योजनाओं के तहत संचालन

- 31 मार्च, 2022 के अंत तक और बैंकों के विलय पर विचार करने के बाद कुल 275 सक्रिय एमएलआई थे जो गारंटी कवर का लाभ उठा रहे थे। सीजीटीएमएसई द्वारा चार क्रेडिट गारंटी योजनाएं (सीजीएस) चलाई जा रही हैं, अर्थात् बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए सीजीएस–I, एनबीएफसी के लिए सीजीएस–II, अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) और पीएम स्वनिधि।
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, सीजीएस–1 के तहत 42,463 करोड़ रुपये की राशि के लिए कुल 5,30,808 गारंटी को मंजूरी दी गई, जबकि पिछले वर्ष में 28,714 करोड़ रुपये के लिए 5,82,543 गारंटी को मंजूरी दी गई थी। संचयी रूप से 31 मार्च, 2022 तक, कुल 49,69,863 खातों को 2,69,676 करोड़ रुपये के लिए गारंटी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- वित्त वर्ष 2022 के दौरान, सीजीटीएमएसई ने 3 नए एनबीएफ़सी पंजीकृत किए। वित्त वर्ष 2022 के दौरान सीजीएस–II के तहत गारंटीकृत आवेदनों की कुल संख्या 13,709 करोड़ रुपये की राशि के लिए 1,86,212 थी। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2022 तक सीजीएस–II के तहत कुल 8,89,831 खातों को 45,208 करोड़ रुपये के लिए गारंटी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीजीएसएसडी के तहत 32 करोड़ रुपये की राशि के लिए 298 आवेदनों के लिए गारंटी कवरेज को मंजूरी दी गई है और पीएमस्वनिधि के तहत 1,717 करोड़ रुपये के 15,85,550 आवेदनों को कवर किया गया है।
- इसलिए, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, सभी योजनाओं के लिए 57,920 करोड़ रुपये की राशि के लिए कुल 23,02,868 गारंटी को मंजूरी दी गई थी। संचयी रूप से 31 मार्च, 2022 तक सभी गारंटी योजनाओं के तहत सीजीटीएमएसई द्वारा कुल 88,93,281 खातों के लिए 3,18,123 करोड़ रुपये गारंटी अनुमोदित की गई है।

4. एमएलआई–वार कवरेज

- वित्त वर्ष 2022 की अवधि के दौरान, सीजीएस–1 के तहत 42,463 करोड़ रुपये के लिए 5,30,808 की गारंटी संख्या को मंजूरी दी गई थी। वर्ष के दौरान, सीजीएस–1 के तहत कवर की गई राशि के संदर्भ में शीर्ष 10 एमएलआई (बैंक) निम्नलिखित हैं:

क्रम सं	एमएलआई	गारंटी की सं	स्वीकृत गारंटी की राशि (करोड़ में)	सीजीएस–I के तहत अनुमोदित कुल गारंटी राशि में गारंटी राशि का प्रतिशत
1	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9,540	6,095	14
2	केनरा बैंक	41,178	5,295	12
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	66,321	4,616	11
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,26,721	4,172	10
5	पंजाब नेशनल बैंक	90,519	4,044	10
6	भारतीय स्टेट बैंक	19,963	3,928	9
7	एक्सिस बैंक लिमिटेड	6,840	2,694	6
8	बैंक ऑफ इंडिया	28,885	1,847	4
9	इंडियन बैंक	25,173	1,335	3
10	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3,872	1,154	3
	कुल	**4,19,012**	**35,181**	**83**

एनबीएफसी ने सीजीटीएमएसई के सीजीएस–II के तहत 13,709 करोड़ रुपये की राशि के लिए 1,86,212 गारंटी का कवरेज लिया है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान शीर्ष 5 एनबीएफसी नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं	एमएलआई का नाम	गारंटी की सं	स्वीकृत गारंटी की राशि (करोड़ में)	सीजीएस–I के तहत अनुमोदित कुल गारंटी राशि में गारंटी राशि का प्रतिशत
1	टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड	42,194	5,810	42
2	बजाज फाइनेंस लिमिटेड	81,039	1,856	14
3	आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड	12,846	1,744	13
4	फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	9,321	1,053	8
5	लेंडिंगकार्ट फाइनेंस लिमिटेड	12,199	781	6
	कुल	**1,57,599**	**11,244**	**82**

5 सीजीटीएमएसई की पहचान

सीजीएस–1 और सीजीएस–2 के तहत कवरेज के राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2022 के दौरान, निम्नलिखित शीर्ष पांच राज्य थे:

क्रम सं	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	गारंटी की सं	स्वीकृत गारंटी की राशि (करोड़ में)	सीजीएस–I के तहत अनुमोदित कुल गारंटी राशि में गारंटी राशि का प्रतिशत
1	महाराष्ट्र	56,027	6,840	12
2	उत्तर प्रदेश	86,616	5,628	10
3	गुजरात	34,929	4,836	9
4	कर्नाटक	41,028	4,308	8
5	तमिलनाडु	44,897	4,134	7
	कुल	**2,63,497**	**25,745**	**46**

6 स्लैब–वार कवरेज के लिए सीजीएस–I–II

वित्त वर्ष 2022 में स्वीकृत ₹ 56,172 करोड़ ₹ 7,17,020 प्रस्तावों में से ₹ 18,072 करोड़ रुपये (32%) की राशि के प्रस्ताव में ₹10 लाख की क्रेडिट सुविधाओं से संबंधित ₹ 11,326 करोड़ (20%) की राशि के प्रस्तावों में ₹10–25 लाख की सीमा मे क्रेडिट सुविधाएं शामिल है, ₹ 11,104 करोड़ (20%) की राशि के प्रस्ताव ₹ 25–50 लाख की सीमा में हैं। ₹ 7,733 करोड़ (14%) की राशि के प्रस्तावों ₹ 50–100 लाख की सीमा में है और ₹ 7,937 करोड़ (14%) की राशि के प्रस्ताव ₹ 100–200 लाख की सीमा में हैं।

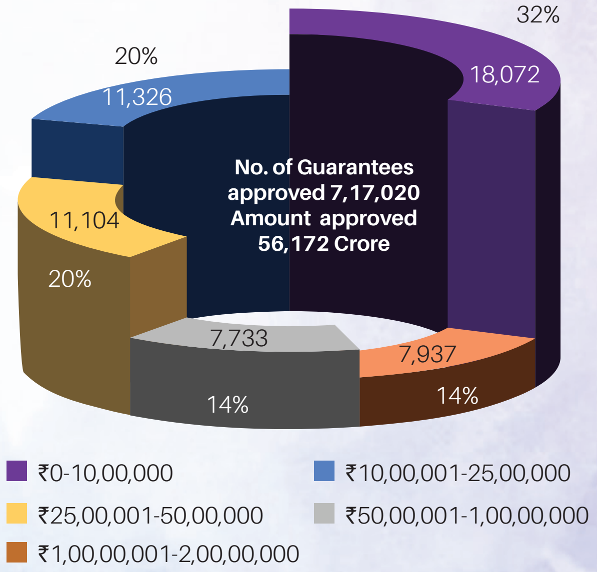

7 दावा निपटान और समापन

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, ₹ 1,292 करोड़ रुपये की राषि के लिए ₹ 65,784 के दावों का निपटान किया गया। सीजीएस–1 के तहत दावे की पहली किस्त के रूप में 747 करोड़ रुपये की राषि के लिए ₹ 33,174 इकाइयों के दावों का निपटान किया गया और वर्ष के दौरान सीजीएस–II के अंतर्गत ₹32,610 इकाइयों के लिए 545 करोड़ रुपए की राषि के दावे निपटाए गए इसके अलावा, वर्ष के दौरान दावे की दूसरी/अंतिम किस्त के रूप में 37 करोड़ रुपये की राषि के 1764 दावों का निपटान किया गया। संचयी रूप से 31 मार्च, 2022 तक सीजीटीएमएसई ने अब तक 8,150 करोड़ रुपये के 3,44,389 दावों का निपटान किया है। 31 मार्च, 2022 तक संचयी रूप से 8,470 इकाइयों के संबंध में गारंटी दावे 644 करोड़ रुपये की गारंटी राषि को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि वे सीजीटीएमएसई के दिषानिर्देषों के अनुरूप नहीं थे और एमएलआई द्वारा 132 करोड़ रुपये की गारंटी राषि की 2,273 इकाइयों के संबंध में गारंटी दावों को वापस ले लिया गया है।

8 दावा निपटान के बाद वसूली

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, ट्रस्ट को पहले दावे के निपटान के बाद एमएलआई से वसूली के रूप में 166 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 144 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वसूली की प्राप्ति मुख्य रूप से दावा निपटान के बाद निगरानी प्रबंध के कारण हो पाती है।

9 एमएलआई के साथ निरंतर बातचीत

योजना की पहुंच को और गहन और व्यापक बनाने के लिए सीजीटीएमएसई ने सर्किल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय सहित विभिन्न स्तरों पर अपने सदस्य ऋण संस्थानों के बैंक अधिकारियों के लिए विभिन्न कार्यषालाओं /प्रषिक्षण सत्रों का आयोजन किया और भाग लिया। कर्मचारी प्रषिक्षण केन्द्र आदि सीजीटीएमएसई की संषोधित ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) के बारे में सूचना को प्रसार करने और पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को इन योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई विषेष गारंटी योजनाओं के उपयोग हेतु एमएलआई को प्रेरित करने का भी अनुरोध करते हैं। वित्त वर्ष 2022 के दौरान, सीजीटीएमएसई ने 59 सेमिनारों / कार्यषालाओं / बैंकर्स मीट में भाग लिया और 103 व्यवसाय विकास बैठकें आयोजित की हैं और क्रेडिट गारंटी योजना के विभिन्न पहलुओं पर बैंक अधिकारियों छोटे उद्यम को संवेदनषील बनाने के लिए प्रस्तुतियां दी है।

10 सीजीएस संचालन का समग्र प्रभाव

सीजीटीएमएसई के परिचालनों का अर्थव्यवस्था पर कुल बिक्री, निर्यात और क्रेडिट गारंटीकृत एमएसई के रोजगार के संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जैसा कि तालिका में दिया गया है:

59

वित्त वर्ष 2021–22 में सेमिनार/कार्यषालाएं/बैंकर्स की बैठक

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 को
सभी योजनाओं के लिए अनुमोदित संचयी गारंटी (संख्या में)	88,93,281	65,90,413
सभी योजनाओं के लिए ऋण राशि (एमएलआई द्वारा विस्तारित) (करोड़ रुपए)	3,18,122	2,60,202
गारंटीकृत इकाइयों का अनुमानित कारोबार (करोड़ रुपए)	71,99,126	45,58,501
गारंटीकृत इकाइयों द्वारा अनुमानित निर्यात (करोड़ रुपए)	24,033	16,541
अनुमानित रोजगार सृजन (संख्या लाख)	155	132
सभी योजनाओं के लिए एमएलआई की संख्या	321	304
महिला लाभार्थी (कुल गारंटी राशि का:)	14	14
एनईआर (%)	3	3

एन.बी.: रद्दीकरण / संषोधनों के हस्तक्षेप के कारण वास्तविक विवरण भिन्न हो सकते हैं

11 लेखापरीक्षक

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म मेसर्स छाजेड़ एंड दोशी, मुंबई को वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सीजीटीएमएसई के आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। लेखा परीक्षकों ने संपूर्ण प्रणालियों की व्यापक समीक्षा की और राजस्व, व्यय, निवेष आदि को कवर करते हुए लेखा परीक्षा भी संपन्न की। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सिफारिष के अनुसार, बोर्ड ने मैसर्स पटेल एंड देवधर, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म को वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सीजीटीएमएसई के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति किया।

12 खातों

ट्रस्ट ने 2,358 करोड़ रुपये की सकल आय अर्जित की, जिसमें मुख्य रूप से गारंटी शुल्क (546 करोड़ रुपए) और वार्षिक गारंटी और सेवा शुल्क (1,014 करोड़ रुपये), निवेष पर अर्जित आय (629 करोड़ रुपए) और एमएलआई से वसूली और अन्य आय (169 करोड़ रुपए) शामिल है। ट्रस्ट ने विभिन्न परिचालन और प्रषासनिक व्यय के लिए 11 करोड़ रुपये की राषि खर्च की। वित्तीय वर्ष 2009 से न्यास की देयता के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक प्रावधान किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	राशि (करोड़)
1 अप्रैल, 2021 को आरंभिक शेष	5,217
घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किया गया दावा	1,227
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	2,322
31 मार्च, 2022 को समापन शेष राशि	6,312

31 मार्च, 2022 तक संचयी प्रावधान ₹ 6,312 करोड़ अनुमानित है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दावों के लिए प्रावधान के बाद व्यय पर आय का आधिक्य (कर पूर्व) ₹ 25 करोड़ था। 31 मार्च, 2022 तक समूह निधि का आकार ₹ 7500 करोड़ था। यह कॉर्पस अंषदान प्राप्त हो गया है, और ट्रस्ट द्वारा अब तक अर्जित शुद्ध आय को बैंकों / संस्थानों और एमएफ के एफडी में निवेष किया गया था। 31 मार्च, 2022 को कुल निधि पिछले वर्ष के अंत में ₹14,666 करोड़ की तुलना में ₹15,616 करोड़ था।

~₹8 लाख

वित्त वर्ष 2021–22 की योजना में निम्नलिखित ऋणों का औसत आकार

13 प्रबंधन और संगठन

- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान न्यासी बोर्ड में सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक पदेन अध्यक्ष, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार के पदेन उपाध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में और सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में शामिल थे। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान न्यासी बोर्ड की दो बैठकें हुईं। 31 मार्च, 2022 तक, सीईओ सहित चार अधिकारी सिडबी से सीजीटीएमएसई में प्रतिनियुक्ति पर थे।

- सीजीटीएमएसई का न्यासी बोर्ड एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, डीसी (एमएसएमई), सिडबी, आरबीआई, आईबीए, सीजीटीएमएसई के एमएलआई, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों और एमएसई उद्योग संघों से प्राप्त समर्थन और सहयोग की सराहना करता है।

सपनों की उड़ान के लिए विकास

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम

सीजीटीएमएसई में हम इच्छुक उद्यमियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने में एक अनुकूल बाजार परिदृष्य की आवष्यकता परिचित हैं। इसलिए, हम क्रेडिट गारंटी योजनाएं लेकर आए हैं, जो न केवल उद्यमियों को सफल होने में मदद करती हैं, बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करके आर्थिक विकास में भी योगदान करती हैं।

दो नई योजनाएं शुरू कीं:

बैंकों और एनबीएफसी द्वारा सह–उधार के लिए गारंटी

इस योजना का उद्देष्य समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सह–उधार मॉडल के तहत एमएसई उधारकर्ताओं को पात्र बैंकों और एनबीएफसी द्वारा संयुक्त रूप से दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में गारंटी प्रदान करना है। यह एमएसई क्षेत्र के तहत पात्र उधारकर्ताओं को उधार देने वाले संस्थानों की जोड़ी द्वारा सह–उधार व्यवस्था के तहत स्वीकृत पात्र क्रेडिट को कवर करेगा।

राज्य–विशिष्ट गारंटी के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग

- सीजीटीएमएसई ने संबंधित राज्यों में स्थित इकाइयों को बिना किसी अतिरिक्त गारंटी शुल्क के 95% तक बढ़ी हुई गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने की पहल की है।
- थोक व्यापार और शैक्षिक /प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल करने को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत गारंटी कवरेज के लिए पात्र बनाया गया था।
- लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए पात्रता मानदंडों में छूट प्रदान की गई, जो 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी की आवष्यकता से 100 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवल मूल्य तक है, ताकि अधिक लाभार्थियों तक पहुंचा जा सके।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण की बढ़ती आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पंजीकरण मानदंडों में छूट प्रदान की गई; खुदरा व्यापार को 50 लाख रुपये तक की ऋण सुविधाओं के लिए एक पात्र गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है।
- कुल बकाया राषि के आधार पर प्रति दावा 1 लाख रुपये तक की गारंटी लागू करते हुए कानूनी कार्रवाई की छूट के लिए सीमा बढ़ाई गई।
- पीएम स्वनिधि पोर्टल पर उपलब्ध संवितरण डेटा के आधार पर ऋण देने वाले संस्थानों को क्रेडिट गारंटी जारी करने के लिए एपीआई विकसित किया गया।
- एक महत्वाकांक्षी नई, पूरी तरह से स्वचालित गारंटी प्रबंध प्रणाली' शुरू करके प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर काम शुरू किया; जिसका उद्देष्य एमएलआई के संचालन को बढ़ाना, एमएलआई द्वारा गारंटी प्राप्त करने में रिसाव को रोकना और अन्य बातों के बीच सहज दावा निपटान को सक्षम करना है।
- क्रेडिट गारंटी योजनाओं पर जानकारी प्रसारित करने के लिए एमएलआई के बैंक अधिकारियों के लिए विभिन्न कार्यषालाओं और प्रषिक्षण सत्रों का आयोजन किया और भाग लिया।
- सीजीटीएमएसई ने 59 सेमिनारों / कार्यषालाओं / बैंकरों की बैठक में भाग लिया और 103 व्यवसाय विकास बैठकों का आयोजन किया।
- सीजीएस–1 के तहत 9 नए ऋण संस्थानों और सीजीएस–2 के तहत 2 नए एनबीएफसी को सदस्य ऋण संस्थानों के रूप में शामिल किया गया।
- वित्त वर्ष 2020–21 तक सीजीटीएमएसई योजना के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया, बाजार के रुझान और मांगों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आर्थिक प्रभाव को मापने के लिए बाहरी एजेंसी को शामिल करके आगे पहुंचने में मदद करना। उधारकर्ताओं को अधिक कुषलता से बाहर निकालें, जिससे उद्यमियों की यात्रा के पोषण में योजना अधिक प्रभावषाली हो गई
- सीजीटीएमएसई के बारे में सूचना प्रसार को समृद्ध करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल ब्रांडिंग विषेषज्ञों की भागीदारी के माध्यम से डिजिटल दुनिया में प्रवेष करने के लिए विभिन्न प्रयासो को कार्यान्वित किया।
- ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय गारंटी आवेदन दर्ज करने की अनुमति देकर एमएसई के समर्थन में परिचालन लचीलापन प्रदान किया गया।
- एमएलआई के उपलब्ध आंकड़ों के पैटर्न और व्यवहार की खोज करने के लिए डेटा एनालिटिक्स के लिए नेषनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) की सेवाओं को शामिल किया गया है। एमएसई उधारकर्ताओं को काफी हद तक लाभ।

भविष्य की ओर हमारी अबाधित यात्रा...

राष्ट्र के वर्तमान आर्थिक परिदृष्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख विकास स्तंभों में से एक हैं। उभरते व्यवसाय, नए प्रवेषकों में वृद्धि और आईटी के उत्कर्ष के साथ–साथ विकास के साथ यह स्थान अवसरों से भरा है। इस क्षेत्र ने रोजगार सृजन और राष्ट्र–निर्माण की दिशा में विषेष रूप से योगदान दिया। हालांकि वित्त तक सीमित पहुंच इन विकास संभावनाओं की प्रक्रिया में एक प्रमुख बाधा बनी हुई है, लेकिन उभरते बाजारों में एमएसई के लिए अवसर पैदा करना आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए प्रभावी समाधान के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार, यह इस क्षेत्र को कई चुनौतियों से प्रतिरक्षा और इसे इच्छुक उद्यमियों और व्यवसायों के लिए एक संपन्न स्थान बनाने की दिशा में योगदान कर रहा है।

एमएसई उधार पर अधिक बल सीजीटीएमएसई के लिए कई लाभों से लाभान्वित कर रहा है। यह परिवर्तनकारी सुधारों को और प्रेरित कर रहा है, जिससे सीजीटीएमएसई गारंटी प्रबंध प्रणाली (जीएमएस) के माध्यम से एंड–टू–एंड प्रौद्योगिकी समाधान विकसित कर रहा है। यह प्रणाली क्रेडिट गारंटी कवरेज, सुचारू दावा निपटान आदि प्राप्त करने में रिसाव को रोककर एमएलआई के लिए परिचालन की आसानी को बढ़ाएगी और इस प्रकार, एमएलआई के प्रयासों में उनकी सुविधानुसार अपेक्षित सुधार करेगी।

इस बीच, ट्रस्ट ने आंषिक संपार्श्विक ऋणों और खुदरा व्यापार को शामिल करके पात्र उधारकर्ताओं के कैनवास को और अधिक व्यापक बनाया है। हमने एनबीएफसी, लघु वित्त बैंक और सहकारी बैंकों जैसे उधारदाताओं को हमारे एमएलआई बनने की अनुमति देकर सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) की संख्या में भी वृद्धि की है।

CGTMSE यह विभिन्न योजनाओं और संबंधित दावे को मजबूत करने के लिए अनुकूल प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों द्वारा समर्थित नीति संषोधनों को एकीकृत करने की कल्पना करता है

ट्रस्ट विषेष ऋण गारंटी योजना शुरू करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने का इरादा रखता है। इससे एमएसई क्षेत्र में गारंटी की सीमा में वृद्धि और क्रेडिट ऑफ–टेक में वृद्धि, एमएलआई के जोखिम को कम करने, क्षेत्रीय असंतुलन में कमी लाने और रोजगार सृजन का कार्य प्रथस्त हो गया।

एक सतत व्यापार मॉडल विकसित करने की हमारी खोज में, हमने सीजीटीएमएसई में विभिन्न नीतिगत सुधारों को लागू किया है, जिसका उद्देष्य एमएसई को संपार्श्विक/तृतीय–पक्ष गारंटी मुक्त ऋण के प्रवाह को बढ़ाना है। अंत्तः, समावेषी विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य की सेवा करना और संगठनों की सफलता के लिए स्थायी मॉडल विकसित करना ही महत्तर उद्देष्य है। इन दृष्टिकोणों के साथ, हम आश्वस्त हैं कि सीजीटीएमएसई नई पीढ़ी के उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए वित्तीय पारितंत्र में योजनाएं कार्यन्वित करता रहेगा। ट्रस्ट के पर्याप्त विकास के साथ, मानव संसाधन को बढ़ाने की आवष्यकता बढ़ गई है। इस दिषा में, हम अपने संगठनात्मक लक्ष्यों के पूरक रूप में निकट भविष्य में एक मानव संसाधन नीति ढांचे को लागू करेंगे।

सीजीटीएमएसई की योजना प्रभावी तकनीकी साधनों और बेहतर प्रबंधन ढांचे के माध्यम से स्केलेबिलिटी प्राप्त करने और डिजिटल रूप से उसे संचालित करने की है। परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार करने और सदस्य ऋण संस्थानों को बेहतर सेवा प्रदान करने की दृष्टि से ट्रस्ट सीजीटीएमएसई के मौजूदा तकनीकी मंच को उन्नत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक बना रहेगा।

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

बाएं से दाएंरू खड़े
श्री जिगर शाह (मुख्य परिचालन अधिकारी)
श्री धीरज कुमार (सहायक महाप्रबंधक)
श्री प्रमोद बख्शी (उप महाप्रबंधक)
श्री हरीष गुप्ता (मुख्य अधिकारी– आईटी)

बैठे हुए
श्री संदीप वर्मा (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग

वित्तीय विवरण

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए स्वतंत्र सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
न्यासी मंडल
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
मुंबई

1. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें तुलन पत्र, आय और व्यय खाता, नकदी प्रवाह विवरण और नोट्स शामिल हैं। यह वित्तीय विवरण ट्रस्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित करते है कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशि का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण शामिल हैं। एक लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना, साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

3. प्रबंधन की जिम्मेदारियां और उन पर प्रभारित वित्तीय विवरणों का अभिशासनः

   प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार मामलों की स्थिति, संचालन के परिणाम और इकाई के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं जिन्हें आम तौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है और महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त है, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्यों न हो। वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन इकाई की कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि प्रयोजन है, चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के चल रहे मामलों के आधार का उपयोग करना जब तक कि प्रबंधन या तो इकाई के परिसमापन करने का इरादा नहीं रखता हो या संचालन बंद कर देना चाहता हो, या उसके समक्ष ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न हो जिन लोगों पर इनके अभिशासन की जिम्मेदारी वे इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

4. वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

   हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार संपन्न एक लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाएगा जब यह मौजूद हो। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि विशेष से उत्पन्न हो सकती है और इसे सामग्री माना जाता है, यदि व्यक्तिगत या समग्र मिलाकर, उन्हें आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती हो।

5. हम रिपोर्ट करते हैं कि

   a. हमने सभी आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

   b. हमारी राय में ट्रस्ट द्वारा आवश्यक रूप से खातों की सम्मक लेखे बहियो का रखरखाव किया जाता है, जहां तक इनकी हमारी जांच से हमें प्रतीत होता है।

   c. रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाता और नकद प्रवाह विवरण बही–खातों के अनुरूप हैं।

   d. हमारी राय में, वित्तीय विवरण, उन पर नोट्स के साथ पढ़े

जाते हैं, सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं, अर्थात

i) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2022 को ट्रस्ट की स्थिति।

ii) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ट्रस्ट के व्यय की तुलना में आय की अधिकता के आय और व्यय खाते के मामले में।

iii) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते पटेल एंड देवधर
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 107644 डब्ल्यू

ह/–
दीपा एम. भिड़े
साझेदार
आईसीएआई सदस्यता संख्या 49616

स्थानः मुंबई
दिनांकः 13सितंबर, 2022

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

तुलन पत्र

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार

राशि (₹)

विवरण	अनुसूचियां	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
निधियों के स्रोत					
समूह निधि	1		87,98,88,10,283		87,39,94,08,787
सामान्य आरक्षितियां	2		74,20,662		74,20,662
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3		80,51,65,48,998		67,99,96,81,322
कुल			**1,68,51,27,79,943**		**1,55,40,65,10,771**
निधियों का अनुप्रयोग अचल आस्तियाँ					
कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर		1,46,67,147		3,07,70,623	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		1,16,69,180	29,97,967	2,57,80,225	49,90,398
फर्नीचर एवं फिक्चर		10,03,384		9,77,224	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		6,46,260	3,57,124	5,53,651	4,23,573
मोटर कार		12,66,029		12,66,029	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		11,67,305	98,724	10,16,964	2,49,065
बिजली के उपकरण		8,51,613		9,00,126	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिती		5,43,744	3,07,869	5,11,354	3,88,772
			37,61,684		**60,51,808**
निवेश	4		1,62,09,74,72,371		1,51,97,39,84,801
चालू परिसम्पत्तियां					
रोकड़ शेष			795		4,552
बैंक में शेष राशि	5		2,67,54,57,706		72,36,79,780
प्राप्तियां	6		15,78,70,446		16,03,62,292
कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य रकम	7		3,57,82,16,941		2,54,24,27,538
कुल			**1,68,51,27,79,943**		**1,55,40,65,10,771**
लेखे से सम्बद्ध टिप्पणियां	9		-		-

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

उक्त तुलन पत्र और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं
न्यासी मंडल की ओर से

कृते पटेल एंड देवधर
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 107644डब्ल्यू

ह/–
(दीपा एम भिड़े)
साझेदार
आईसीएआई फर्म पंजी सं 49616

ह/–
(संदीप वर्मा)
सदस्य सचिव

ह/–
(सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13 सितंबर, 2022

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि (₹)

विवरण	अनुसूचियाँ	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
आय			
सावधि जमाराशि पर ब्याज		6,24,16,42,252	7,15,01,83,820
म्युचुअल फंड से आय		5,26,67,893	7,68,75,815
गारंटी शुल्क		5,45,51,06,838	5,65,64,33,557
वार्षिक गारंटी शुल्क/वार्षिक सेवा शुल्क		10,14,41,35,026	7,33,33,62,470
विविध आय		2,84,57,296	4,63,805
भुगतान किये गये दावे खाते पर एमएलआई से वसूलियां		1,66,15,10,474	1,43,76,87,147
आयकर वापसी पर ब्याज		-	8,75,88,041
		23,58,35,19,779	**21,74,25,94,655**
व्यय			
परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय	8	10,90,86,290	9,57,02,303
गारंटी दावों के लिए प्रावधान		23,21,90,00,000	20,73,04,00,000
बैंक प्रभार		8,607	12,647
मूल्यह्रास		27,23,386	26,76,636
		23,33,08,18,283	**20,82,87,91,586**
व्यय की तुलना में आय का आधिक्य		**25,27,01,496**	**91,38,03,069**
जोड़ें/(घटाएं): पूववर्ती अवधि की मदें		-	-
कर से पूर्व अधिशेष		**25,27,01,496**	**91,38,03,069**
जोड़ें: आयकर प्रावधान पुनरांकित		33,67,00,000	-
घटाएं: आयकर हेतु प्रावधान		-	(33,67,00,000)
कर पश्चात अधिशेष		**58,94,01,496**	**57,71,03,069**
घटाएं: सामान्य आरक्षिती को अंतरण		-	-
व्यय की तुलना में आय के अधिशेष को समूह निधि में शामिल किया गया		**58,94,01,496**	**57,71,03,069**
खातों से सम्बद्ध टिप्पणियां	9		

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते पटेल एंड देवधर
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 107644डब्ल्यू

उक्त आय एवं व्यय लेखा और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं
न्यासी मंडल की ओर से

ह/–
(दीपा एम भिड़े)
साझेदार
आईसीएआई फर्म पंजी सं 49616

ह/–
(संदीप वर्मा)
सदस्य सचिव

ह/–
(सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13 सितंबर, 2022

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
नकदी प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि (₹)

	विवरण	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
	परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	आय एवं व्यय विवरणी के अनुसार, कर–पूर्व व्यय पर आय का आधिक्य		25,27,01,496		91,38,03,069
जोड़ः	आय एवं व्यय खातों में नामे मूल्यह्रास	27,23,386		26,76,636	
जोड़ः	आयकर प्रावधान पुनरांकित	33,67,00,000			
	गारंटी दावों के संबंध में प्रावधान	23,21,90,00,000		20,73,04,00,000	
घटाएँः	सावधि जमाराशि पर ब्याज	(6,24,16,42,252)		(7,15,01,83,820)	
घटाएँः	आयकर वापसी पर ब्याज	-		(8,75,88,041)	
घटाएँः	म्युचुअल फंड से आय	(5,26,67,893)		(7,68,75,815)	
			17,26,41,13,241		**13,41,84,28,960**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व नकदी प्रवाह		**17,51,68,14,737**		**14,33,22,32,029**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन				
	(प्राप्त राशियों में (वृद्धि) / कमी	24,91,846		6,82,258	
	अन्य मदों में (वृद्धि) / कमी	(33,80,38,556)		1,27,10,60,083	
	कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य राशि में (वृद्धि) / कमी				
	वर्तमान देयताओं में (वृद्धि) / कमी	1,57,17,58,418		4,42,20,08,881	
			1,23,62,11,708		**5,69,37,51,222**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पश्चात नकदी प्रवाह में परिवर्तन		**18,75,30,26,445**		**20,02,59,83,251**
घटाएँः	वर्ष के दौरान निपटाए गये दावे	(12,27,38,90,742)		(7,03,30,14,707)	
	कर की अग्रिम अदायगी	(69,77,50,847)		(53,78,12,893)	
			(12,97,16,41,589)		**(7,57,08,27,600)**
	परिचालन कार्यकलापों से उत्पन्न / (प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह (क)		**5,78,13,84,856**		**12,45,51,55,651**
	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
	(अधिग्रहण) अचल संपत्तियों का निपटान वर्ष के दौरान	(4,33,262)		(9,23,266)	
	वर्ष के दौरान निवेश में वृद्धि	(10,12,34,87,570)		(19,53,06,09,976)	
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(10,12,39,20,832)**		**(19,53,15,33,242)**
	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	वर्ष के दौरान समूह निधि में की गई वृद्धि	5,26,67,893		7,68,75,815	
	म्युचुअल फंडों पर ब्याज आय	-		8,75,88,041	
	आयकर वापसी पर ब्याज आय	6,24,16,42,252		7,15,01,83,820	

नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

राशि (₹)

	विवरण	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
	वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (ग)		**6,29,43,10,145**		**7,31,46,47,676**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह में हुई निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)		**1,95,17,74,169**		**23,82,70,085**
	नकद एवं नकद समतुल्य का आरंभिक शेष		72,36,84,332		48,54,14,247
	नकद और नकदी समकक्षों का अंतिम शेष		**2,67,54,58,501**		**72,36,84,332**
टिप्पणियाँ:					
1	नकद राशियों एवं बैंक में शेष राशियों में नकद राशियाँ एवं नकद समतुल्य शामिल है				
2	कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकद राशियों के बहिर्गमन को दर्षाते हैं				
3	31 मार्च 2022 तक की नकद राशियाँ एवं नकदी समतुल्य में निम्नलिखित शामिल है		31 मार्च 2022		31 मार्च 2021
	नकद		795		4,552
	बैंक में शेष		2,67,54,57,706		72,36,79,780
	कुल		**2,67,54,58,501**		**72,36,84,332**
4	आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन किया गया है।				

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते पटेल एंड देवधर
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 107644डब्ल्यू

उक्त नकदी प्रवाह और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं
न्यासी मंडल की ओर से

ह/–
(दीपा एम भिड़े)
साझेदार
आईसीएआई फर्म पंजी सं 49616

ह/–
(संदीप वर्मा)
सदस्य सचिव

ह/–
(सिवसुब्रमणियन रमण, आईए एंड एएस)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13 सितंबर, 2022

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि (₹)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अनुसूची: 1		
समूह निधि		
निम्नलिखित से प्राप्त		
भारत सरकार	70,00,00,33,000	70,00,00,33,000
सिडबी	5,00,00,00,000	5,00,00,00,000
(आरएसएफ एवं आरएसएफ की समूह निधि क्रमशः 1 और 2 ₹ 25,00,00,000/– एवं ₹ 7,77,50,000/– सहित)		
(क)	**75,00,00,33,000**	**75,00,00,33,000**
व्यय की तुलना में आय का अधिशेष		
अग्रेषित शेष	12,39,93,75,787	11,82,22,72,718
जोड़ें: वर्तमान वर्ष का अधिशेष	58,94,01,496	57,71,03,069
(ख)	**12,98,87,77,283**	**12,39,93,75,787**
(क + ख)	**87,98,88,10,283**	**87,39,94,08,787**
अनुसूची: 2		
सामान्य आरक्षितियां		
अग्रेषित शेष	74,20,662	74,20,662
जोड़ें: आय और व्यय खाते से अंतरित	-	-
	74,20,662	**74,20,662**
अनुसूची: 3		
चालू देयताएँ और प्रावधान		
गारंटी दावों के लिए प्रावधान (अनुसूची 9 की टिप्पणी से सं. 7 भी देखिए)	63,11,63,00,405	52,17,11,91,147
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से "पीएम स्वानिधि" के प्रति प्राप्त निधि	61,23,84,503	63,68,84,944
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से "पीएम स्वानिधि" के प्रति देय टीडीएस	21,81,907	9,63,644
एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार से "सीजीएसएसडी" के प्रति प्राप्त निधि	1,63,47,68,866	1,57,41,00,000
एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार से "सीजीएसएसडी" के प्रति देय टीडीएस	67,00,379	-
तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा "टीएनसीजीएस" के लिए निधि	15,00,17,500	-
डी सी (हस्तशिल्प और हतकरघा), भारत सरकार से सीएफ व एएसएफ के लिए प्राप्त अग्रिम	22,99,875	22,99,875
देय वस्तु एवं सेवाएँ कर	1,76,59,01,770	1,59,13,85,707
देय टीडीएस	18,71,488	17,17,878
देय व्यवसायिक कर	2,400	2,200
व्यय के प्रति बकाया देयताएँ	1,80,61,306	1,74,46,127
देय गारंटी दावे	3,48,550	3,48,550
वार्षिक गारंटी नवीकरण शुल्क के प्रति प्राप्त अग्रिम	9,44,73,74,359	9,52,15,98,024
गारंटी शुल्क के प्रति प्राप्त अग्रिम	3,69,99,99,341	2,46,34,49,029
लौटाए जाने वाली गारंटी शुल्क	1,78,09,638	64,25,823
लौटाए जाने वाली गारंटी शुल्क/वार्षिक लेखा	3,82,77,479	32,20,084
जीएफ विनियोजन खाता	8,09,914	8,09,913
एएसएफ विनियोजन खाता	6,39,318	60,34,377
संविदा के लिए ईएमडी	8,00,000	18,04,000
	80,51,65,48,998	**67,99,96,81,322**
अनुसूची: 4		
निवेश		
1) बैंकों के सावधि जमा में निवेश		
i) डीसी (हस्तशिल्प एवं हथकरघा), भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम का निवेश	22,87,842	22,89,450
ii) एमएचओयू नीधि (पीएम स्वानिधि), भारत सरकार का निवेश	60,74,06,751	63,68,84,944
iii) एमएसएमई निधि मंत्रालय (सीजीएसएसडी), भारत सरकार का निवेश	1,63,47,68,866	1,57,54,52,169
iv) तमिलनाडु राज्य सरकार निधि (टीएनसीजीएस) का निवेश	15,00,17,500	-
v) समूह निधि एवं अन्य निधियों का निवेश	1,58,65,70,91,412	1,47,11,20,48,238
2) म्यूचुअल फंड में निवेश	1,04,59,00,000	2,64,73,10,000
[म्यूचुअल फंड में निवेश का बाजार मूल्यः 104,91,67,699 / पिछले वर्ष 2,64,99,06,108/–		
	1,62,09,74,72,371	**1,51,97,39,84,801**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि (₹)

विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अनुसूची: 5			
बैंक में जमा शेष			
चालू खाते			
आईडीबीआई बैंक लि.,		25,71,004	4,00,25,340
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, – डीसी (हस्तशिल्प), भारत सरकार,		54,918	24,873
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, – डीसी (हथकरघा), भारत सरकार,		3	3
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		47,45,88,084	68,23,13,066
भारतीय स्टेट बैंक		3,36,046	13,16,498
आईसीआईसीआई बैंक (बचत खाता)		2,19,79,07,651	-
		2,67,54,57,706	**72,36,79,780**
अनुसूची: 6			
प्राप्तियां			
पूर्वप्रदत्त व्यय		1,23,150	1,87,500
प्राप्य शुल्क		79,925	55,278
इनपुट कर जमा		20,65,039	44,87,137
सेवा कर (ईसी/एसएचसीई)		31,36,145	31,36,145
वसूली योग्य सेवा कर		15,24,66,187	15,24,96,232
		15,78,70,446	**16,03,62,292**
अनुसूची: 7			
कर प्राधिकरणों से प्राप्य राशि			
वापसी योग्य आयकर 31/3/10		39,86,08,031	39,86,08,031
वापसी योग्य आयकर 31/3/11		12,13,84,436	12,13,84,436
वापसी योग्य आयकर 31/3/12		1,38,88,000	1,38,88,000
वापसी योग्य आयकर 31/3/13		13,25,69,729	13,25,69,729
वापसी योग्य आयकर 31/3/15		43,95,61,396	43,95,61,396
वापसी योग्य आयकर 31/3/17		32,39,09,904	32,39,09,904
वापसी योग्य आयकर 31/3/18		2,16,46,095	2,16,46,094
वापसी योग्य आयकर 31/3/20		82,99,86,159	82,99,86,159
वापसी योग्य आयकर 31/3/21		53,78,12,893	53,78,12,893
अग्रिम कर पंव डीटीएस 31/3/22		69,77,50,847	-
सेवा कर की मांग के प्रति पूर्व जमा		6,10,99,451	5,97,60,896
	(क)	**3,57,82,16,941**	**2,87,91,27,538**
वित्त वर्ष 2020–21 के लिए आयकर प्रावधान	(ख)	-	(33,67,00,000)
कर प्राधिकरण से प्राप्त राशि	(क – ख)	**3,57,82,16,941**	**2,54,24,27,538**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

आय एवं व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार

राशि (₹)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
अनुसूचीः 8		
परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय		
विज्ञापन और प्रचार व्यय	6,08,226	4,81,037
अधिवक्ता शुल्क	-	75,000
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	3,65,000	3,35,000
आवागमन और वाहन पर व्यय	33,213	1,74,039
कूरियर/डाक शुल्क	6,773	19,795
बीमा शुल्क	90,792	75,076
आंतरिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	2,90,000	2,80,000
आईटी सेवा	4,29,48,925	3,23,28,116
विविध व्यय	4,98,861	4,32,942
कार्यालय व्यय	11,57,128	8,28,080
कार्यालय का किराया	1,00,21,881	81,39,210
कार्मिकों पर लागत और व्यय	4,58,98,611	4,43,96,058
मुद्रण और लेखन सामग्री	4,73,244	1,71,469
व्यावसायिक शुल्क	64,97,799	77,27,500
दूरभाष व्यय	39,559	22,310
प्रशिक्षण व्यय	82,980	-
यात्रा संबंधी व्यय	73,298	2,16,671
	10,90,86,290	**9,57,02,303**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

आय और व्यय के भाग के रूप में समूहन

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

राशि (₹)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सूची 1: कार्मिक व्यय		
कर्मचारियों (सिडबी) को वेतन और भत्ते	1,86,25,876	1,75,28,182
संविदा कर्मचारियों को वेतन और भत्ते	2,61,95,570	2,55,22,107
कूपन व्यय (सोडेक्सो)	10,77,165	13,45,769
	4,58,98,611	**4,43,96,058**
सूची 2: विविध व्यय		
मरम्मत और रखरखाव	55804	63,754
अचल आस्ति को बट्टे खाते में डालने/बिक्री पर हानि	8,929	36,312
स्टाफ कल्याण	2,84,623	97,795
विविध व्यय	1,49,505	2,35,081
	4,98,861	**4,32,942**
सूची 3: मुद्रण और स्टेशनरी		
मुद्रण व्यय	3,23,500	-
स्टेशनरी और कंप्यूटर उपभोग्य	1,49,744	1,71,469
	4,73,244	**1,71,469**
सूची 4 : विविध आय		
विविध प्राप्तियां	58,531	25,926
निविदा और खोज शुल्क	48,765	42,279
दांडिक ब्याज	-	3,95,600
प्रबंधन शुल्क	2,83,50,000	-
	2,84,57,296	**4,63,805**
सूची 5: व्यय के प्रति बकाया देयताएं		
चेतन टी शाह एंड कंपनी	-	1,35,000
एडाक्वेयर इंफो प्राइवेट लिमिटेड	-	6,726
ग्लोबलकॉम आईडीसी लिमिटेड	3,82,557	10,79,286
जैन त्रिपाठी एंड कंपनी।	-	3,01,500
खंडेलवाल जैन एंड कंपनी।	-	4,05,000
कोचर एंड एसोसिएट्स	-	63,000
के.एस. सांगवी एंड कंपनी	4,500	4,500
साईं कुजीन हॉस्पिटली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	-	8,652
पाथ इन्फोटेक लिमिटेड	65,11,955	35,32,110
रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	4,21,200	3,05,410
सिडबी	52,51,219	23,31,576
टी एंड एम सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	10,16,708	8,02,994
डायनाकॉन सिस्टम एंड सोल्यूशन	60,727	60,727
एस्ट्यूट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	-	82,058
ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	-	2,00,172
टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड	31,53,621	77,17,016
टाटा टेल सर्विस लिमिटेड	-	4,10,400
छाजेड़ और दोशी	65,250	-
जेएनआर मैनेजमेंट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड	24,030	-
कीर्ति स्टेशनरी और प्रिंटर	20,584	-
क्योसेरा डाक्युमेंट	25,704	-
राष्ट्रीय संस्थान	5,796	-
पावर कार्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड	3,480	-
एसजीएन एंड कंपनी।	2,17,800	-
प्रोफेशनल कूरियर	6,166	-
3i इन्फोटेक	5,61,509	-
पटेल और देवधर	3,28,500	-
	1,80,61,306	**1,74,46,127**

तुलन–पत्र एवं आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूचीः 9ः – लेखा टिप्पणियांः

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क) लेखांकन व्यवहार

ऐतिहासिक लागत लेखांकन सहित आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

ख) आय और व्यय की निर्धारण

ट्रस्ट लेखांकन के व्यापारिक आधार का पालन करता है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। ट्रस्ट की आय के प्रमुख स्रोतों का निर्धारण इस प्रकार है।

गारंटी शुल्क

गारंटी शुल्क से आय को तब मान्यता दी जाती है जब संबंधित सदस्य ऋणदाता संस्थानों से भुगतान बैंक खाते में आनुपातिक आधार पर प्राप्त/क्रेडिट किया जाता है। प्राप्त गारंटी शुल्क को गारंटी कवर की अवधि को ध्यान में रखते हुए वर्ष की आय और अग्रिम प्राप्त आय के अनुपात में आवंटित किया जाता है।

सावधि जमा पर ब्याज आय

सावधि जमा पर ब्याज आय का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है।

भुगतान किए गए दावों पर एमएलआई से वसूली

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से की गई वसूलियों से प्राप्त आय की पहचान तब की जाती है जब राशि की वसूली हो जाती है।

म्यूचुअल फंड से आय

म्यूचुअल फंड की इकाइयों के रिफंड के समय पूंजीगत लाभ की गणना के प्रयोजन के लिए भारित औसत के आधार पर गणना की जाती है। मुआवजे पर लाभों को मान्यता दी जाती है।

ग) अचल संपति

वित्तीय विवरणियों में अचल परिसम्पत्तियों का निर्धारण लागत पर किया गया है। लागत में खरीद, भाड़ा, परिवहन और उसे वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने पर हुई अन्य लागत शामिल हैं। अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित किये गये अनुसार अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार प्रभारित किया गया है।

घ) निवेश

ट्रस्ट के निवेशों में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ सावधि जमा में निवेश और म्यूचुअल फंड में निवेश शामिल हैं। म्यूचुअल फंडों में निवेश को वर्ष के दौरान औसत भारित लागत से घटाकर मूल्यह्रास या बाजार मूल्य, जो भी कम हो पर दर्ज किया जाता है। सावधि जमा में निवेश को व्यय मूल्य पर और उस पर संचित ब्याज के साथ दर्षाया गया है। डीसी (हथकरघा), डीसी (हस्तशिल्प), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, एमएसएमई, भारत सरकार और तमिलनाडु मंत्रालय से प्राप्त सीजीएसएसडी योजना निधि से प्राप्त निधि से संबंधित बैंकों के साथ सावधि जमा में निवेश तमिलनाडु सरकार से ऋण गारंटी योजना निधि की पहचान की गई है और तुलन पत्र में इस प्रक र बताया गया है। अनुसूची 4 देखें।

ङ) सेवानिवृत्ति लाभ

इस ट्रस्ट में प्रतिनियुक्ति पर आए सिडबी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ सिडबी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे वार्षिक रूप से प्रतिपूर्ति आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।

2. (₹ करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
गारंटी अनुमोदन	3,14,883	2,58,764
जारी की गई गारंटी	2,74,838	2,30,520
गारंटी स्वीकृत, निष्पादन लंबित	40,045	28,244
बकाया गारंटी	1,24,618	1,09,955
बकाया गारंटी से सीजीटीएमएसई की सगम्र देयता	88,979	78,924
सीजीटीएमएसई का प्रथम दावा किश्त के प्रति दायित्व	66,734	59,193

ट्रस्ट द्वारा रोके गए दावों के प्रति किए गए प्रावधान के अलावा एमएसई के गैर निष्पादक होने की स्थिति में उसके प्रति दी गई गारंटी की आकस्मिकता के लिए ट्रस्ट उत्तरदायी है, जिसकी प्रतिभूति स्वरूप ऐसी गारंटी दी जाती है/मंजूर की जाती है।

3. ट्रस्ट पहली बार में दावा राशि का 75% भुगतान करता है, वसूली की कार्यवाही के समापन के बाद शेष 25% राशि का भुगतान

अनुसूची

तुलन पत्र एवं आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूची

किया जाता है। कुल 1,107 मामलों (गत वर्ष में 1,764 मामलों) के लिए शेष 25% राशि का भुगतान किया गया। तथापि, अन्य मामलों में, सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को अभी तक वसूली कार्यवाही के निष्कर्ष की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देना बाकी है, जिससे वे शेष रकम प्राप्त करने के लिए पात्र बनते हैं। इसके अलावा, परिपत्र संख्या–138/2017–18 के माध्यम से, ट्रस्ट ने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा विप्रेषित शुल्क और वसूली के आधार पर कुल दावा निपटान (यानी दावे की पहली और दूसरी किस्तों का निपटान) के लिए अंतिम सीमा शुरू की है। संबंधित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के दावों का निपटारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विप्रेषित वसूली सहित शुल्क के दोगुने राशि तक किया जाएगा।

4. लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक ₹ 3,65,000/– (गत वर्ष ₹3,35,000/–) शुल्क में कर शामिल नहीं है।

राशि (₹)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क	3,00,000	2,75,000
कर लेखापरीक्षा शुल्क	65,000	60,000
कुल	**3,65,000**	**3,35,000**

5. कराधान

5.1 प्रत्यक्ष कराधान

ट्रस्ट को वित्त अधिनियम 2002 द्वारा 01.04.2002 से आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") के तहत धारा 10(23ईबी) में अधिसूचित किया गया था और तदनुसार ट्रस्ट की आय को निर्धारण वर्ष 2002–03 से आरम्भ करके निर्धारण वर्ष 2006–07 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 10(23ईबी) के तहत छूट दी गई थी।

ट्रस्ट को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत किया गया था और तदनुसार ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2007–08 और निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा किया था। वित्त अधिनियम 2008 में 01.04.2008 अर्थात निर्धारण वर्ष 2009–2010 से धारा 2(15) में संशोधन किया था। तदनुसार, ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2009–2010 के बाद से धारा 11 के तहत लाभ का दावा नहीं किया था। तथापि, ट्रस्ट ने निर्धारण कार्यवाही के दौरान अधिनियम की धारा 11 (1) (ए) के तहत 15% की कटौती का दावा किया है।

आयकर निदेशक (छूट)–डीआईटी(ई), ने दिनांक 07.12.2011 के आदेश के माध्यम से माना था कि निर्धारिती ट्रस्ट द्वारा की गई गतिविधियों का स्वरूप व्यापार,वाणिज्य या व्यवसाय हैं और अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, निर्धारण वर्ष 2009–10 से ट्रस्ट को दिए गए पंजीकरण को रद्द कर दिया। ट्रस्ट ने इस आदेश के खिलाफ आयकर अपीलकर्ता न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील की थी और 28.05.2014 के आदेश के माध्यम से ट्रस्ट के पक्ष में निर्णय किया गया था और आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत ट्रस्ट के पंजीकरण को बहाल कर दिया गया था। आईटीएटी के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग ने मुंबई स्थित उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी जिसे दिनांक 02.08.2017 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार आयकर अधिनियम 12ए/12एए के तहत ट्रस्ट का पंजीकरण जारी है। आईटीएटी के आदेश दिनांक 28.05.2014 को प्रभावी करने वाला आदेश सीआईटी (छूट) के कार्यालय द्वारा आदेश दिनांक 09.03.2021 के माध्यम से पारित किया गया।

निर्धारण,माँगों और अपीलों की स्थिति का वर्षवार विवरण इस प्रकार हैं:

क) निर्धारण वर्ष 2009–10 की निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) ने धारा 143(3) के तहत एक आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत 15 प्रतिशत की कटौती के दावे को रद्द कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है और वह निपटान के लिए लंबित है। इस वर्ष के लिए कोई माँग बकाया नहीं है।

ख) निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने क्रमशः निर्धारण वर्ष 2007–08 और निर्धारण वर्ष 2008–09 के दौरान धारा 11(2) के अंतर्गत संचयी राशि के तौर पर ₹ 94,38,84,008/– और ₹ 154,61,77,037/– के संयोजन का प्रावधान किया था और ट्रस्ट के अवस्थापक नामतः एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से प्राप्त समूह निधि के प्रति ₹ 166,41,00,000/– को जोड़ा था। निर्धारण वर्ष 2009–10 से डीआईटी(ई), मुम्बई द्वारा धारा 12(ए) के तहत ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था अतः अधिनियम की धारा 11 के तहत ट्रस्ट कोई भी लाभ पाने के लिए पात्र नहीं थी । कथित संयोजन के खिलाफ, ट्रस्ट ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी जिसे दिनांक 28.07.2014 के अपने आदेश के माध्यम से बहाल रखा गया। तथापि दिनांक 20.01.2017 के अपने आदेश के माध्यम से माननीय आईटीएटी ने ट्रस्ट को अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत छूट के दावे की अनुमति दी थी। माननीय आईटीएटी ने यह भी कहा है कि जैसा कि अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत निर्धारिती को लाभों के दावे करने की

अनुसूची

तुलन पत्र एवं आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूची

अनुमति दी है, इसलिए निर्धारिती समूह निधि के प्रति अवस्थापकों द्वारा किये गये अंशदान के संयोजन करने में सक्षम है।

उपर्युक्त आईटीएटी आदेश के खिलाफ विभाग ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है, जिसका निपटान लंबित है। उसके बाद आईटीएटी के दिनांक 25.07.2017 के आदेश को प्रभावी मानते हुए दिनांक 09.08.2017 को आदेश प्राप्त हुआ है। ट्रस्ट से अन्य वर्षों के लिए किए गए मांग राशियों को समायोजित करने के बाद दिनांक 11.04.2018 के मांग ड्राफ्ट के माध्यम से ₹ 16,73,47,440 की राशि प्राप्त हुई है। ट्रस्ट ने अधिनियम की धारा 244, के तहत ब्याज सहित शेष वापसी राशि जारी करने के लिए दिनांक 13.02.2019 को पत्र दाखिल किया है जिस पर कार्यवाही चल रही है।

ग)निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने धारा 143(3) के अंतर्गत जारी आदेश में वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में ₹ 2,50,00,00,000/– की राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और तद्नुसार ₹ 1,02,96,29,110/– की मांग की गई है। इस राशि को जोड़ें जाने के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की थी जिसे माननीय सीआईटी (ए) ने निर्धारण वर्ष 2010–11 के सीआईटी (ए) के आदेश के मद्देनजर अपील को खारिज कर दिया। ट्रस्ट ने माँगी गई राशि ₹ 1,02,96,29,110 में से 31.03.2015 तक किस्तों में ₹ 51,48,14,555/– का भुगतान कर दिया था। सीआईटी (ए) के आदेश से अपकृत हो कर ट्रस्ट ने माननीय आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की। दिनांक 26.02.2018 को माननीय आईटीएटी ने निर्धारिती ट्रस्ट के मामलों में निर्धारण वर्ष 2010–11 के आदेश का पालन कर के अपील की अनुमति दी। इसके बाद आईटीएटी के आदेश को लागू करते हुए दिनांक 07.08.2018 का आदेश जो 20.02.2019 प्राप्त हुआ है और ट्रस्ट को अन्य निर्धारण वर्षों के लिए कुछ मांगों के समायोजन के बाद 05.09.2018 के मांग ड्रॉफ्ट के माध्यम से ₹ 1,40,99,80,850/– वापस प्राप्त हुए है। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने 07.08.2018 के आदेश में अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के तहत 15% की कटौती के लिए मंजूरी नहीं प्रदान की। ट्रस्ट ने 13.03.2019 को लिखे पत्र के माध्यम से निर्धारण अधिकारी से शुद्धि आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में ट्रस्ट ने भी 15.03.2019 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है जो निपटान के लिए अभी लंबित है।

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत आदेश पारित करके ₹ 77,25,00,000/– का जुर्माना भी लगाया था और निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए वापस की जाने वाली राशि में से माँगी गई उक्त दंडराशि को समायोजित कर दिया था। उक्त आदेश के खिलाफ, ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की थी और माननीय सीआईटी (ए) ने 01.03.2019 के आदेश के माध्यम से ट्रस्ट के पक्ष में अपील का निपटारा किया था और ₹ 77,25,00,000/– के उक्त दंड को हटा दिया था। ट्रस्ट ने 11.05.2019 को लिखे पत्र के माध्यम से प्रबुद्ध कर–निर्धारण अधिकारी से सीआईटी (ए) के आदेश को लागू करने और वापसी राशि जारी करने का अनुरोध किया है।

घ)निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदान राशियों के रूप में प्राप्त ₹ 2,22,50,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iiए) के तहत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और इस कारण से ₹ 10,40,35,270/– की माँग की गई थी और इसे अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत दिनांक 13.10.2015 के माध्यम से पारित अपने आदेश के माध्यम से ₹ 10,40,35,270/– की मांग को संशोधित करके ₹ 69,44,000/– किया था। उपर्युक्त संयोजन के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष एक अपील दाखिल की है जिस पर विभिन्न तारीखों को सुनवाई की गई है और आदेश की प्रतीक्षा है।

ङ)निर्धारण वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदान राशियों के रूप में प्राप्त ₹ 42,77,50,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम 1961 की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और ₹ 10,48,59,600/– की वापसी निर्धारित की गई जिसे निर्धारण वर्ष 2011–12 की मांग राशि के प्रति समायोजित किया गया है। इस अतिरिक्त दावे के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) में अपील दाखिल की है, जिसका निपटान लंबित है।

च)निर्धारण वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूहनिधि के प्रति अंशदान राशियों के रूप में प्राप्त ₹ 93,73,75,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के

अनुसूची

तुलन पत्र एवं आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूची

रूप में आय माना गया है और ₹ 52,17,58,560/– की धनराशि की वापसी निर्धारित की गई है। इसके अलावा प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने विवरणी में दर्शाई गई हानि राशि ₹ 55,02,16,378/– के घाटे को शून्य माना है। उक्त आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की थी, जिसने 27.12.2017 के आदेश के माध्यम से निर्धारिती ट्रस्ट को अपील करने की अनुमति दी थी, उसके बाद में सीआईटी (ए) के आदेश को लागू करने के लिए ए.ओ. द्वारा आदेश पारित किया गया जिसमें उन्होंने घाटे के दावे को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी। निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील की है जो निपटान के लिए लंबित है। ट्रस्ट को 13.04.2018 की मांग डॉफ्ट के माध्यम से ₹ 1,22,87,44,100/– की राशि वापस मिली है। आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के खिलाफ माननीय आईटीएटी के समक्ष अपील की है जिसे माननीय आईटीएटी ने अपने दिनांक 30.07.2019 के आदेश से खारिज कर दिया है।

छ) निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹ 93,73,75,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे अधिनियम, 1961 की धारा 2(24) (पपए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है। इसके अलावा प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने ₹ 179,15,20,936/– की रिटर्न हानि के अधीन रु.शून्य की रिटर्न आय माना है। उक्त आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है, जिसका निपटान लंबित है। निर्धारण अधिकारी ने ₹ 11,02,47,956/– के स्रोत पर कर कटौती को खाते में जमा नहीं किया है। दिनांक 15.01.2018 को इसे ठीक करने के लिए आवेदन दायर किया गया है जो निपटान के लिए लंबित है।

ज) निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹ 42,48,75,000/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे अधिनियम, 1961 की धारा 2(24) (पपए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है। इसके अलावा प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने धारा 11(1)(ए) के तहत 15% की कटौती की अनुमति प्रदान नहीं की है और ₹ 7,94,59,946/– की राशि के बजाय ₹ 50,43,34,946/– की राशि को विवरणी की आय के रूप में स्वीकर किया है। उक्त आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है, जिसका निपटान लंबित है। ₹ 43,67,74,164/– के कुल रिफंड में से, ट्रस्ट को दिनांक 07.06.2018 के मांग ड्राफ्ट के माध्यम से ₹ 17,18,41,511/– (₹ 3,14,33,172/– के ब्याज सहित) की राशि वापस मिली है। इसके अलावा निर्धारण वर्ष 2011–12 की मांग के विरुद्ध ए.ओ. द्वारा ₹ 12,15,34,819/– समायोजित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, ट्रस्ट को ₹ 20,36,78,121/– (₹ 2,88,47,115/– के ब्याज सहित) का बैलेंस रिफंड प्राप्त हुआ।

झ) निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹ 4,44,41,750/– की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे अधिनियम, 1961 की धारा 2(24) (iiए) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान को उसी को प्रतिबंधित करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए गए ₹ 63,83,60,843/– के गारंटी दावों के प्रावधान में कटौती को रोक दिया। प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने ट्रस्ट द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन के कारण खातों में वापस लिखी गई राशि ₹ 27,37,771/– के मूल्यह्रास को कम नहीं किया। प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने धारा 11(1)(ए) के तहत 15% की कटौती की अनुमति प्रदान नहीं की है। उक्त आदेश के विरुद्ध, ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है, जिसका निपटान लंबित है। ट्रस्ट को वित्त वर्ष 2020–21 में ₹ 10,41,28,573/– (₹ 1,11,56,628/– ब्याज सहित) का रिफंड प्राप्त हुआ।

ञ. निर्धारण वर्ष 2018–19 की निर्धारण कार्यवाही करते समय निर्धारण अधिकारी ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए गए ₹ 3,47,04,32,777/– के गारंटी दावों के प्रावधान को वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान तक सीमित करके कटौती की अनुमति नही दी है। आईडी एओ ने ₹ 9,92,75,616/– की धारा 11(1)(ए) के तहत 15ः की कटौती मंजूर नहीं की। उक्त आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट द्वारा सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया जारी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान ट्रस्ट को ₹ 53,70,21,544/– (₹ 4,88,20,140/– के ब्याज सहित) की रिफन्ड प्राप्त हुई है।

ट. निर्धारण वर्ष 2019–20 की निर्धारण कार्यवाही करते समय निर्धारण अधिकारी ने बीमाकिंक मूल्यांकन के आधार पर किए गए ₹ 7,91,02,44,944/– के गारंटी दावों के प्रावधान को वर्ष दौरान वास्तविक भुगतान तक सीमित करके कटौती की अनुमति नहीं दी

अनुसूची

तुलन पत्र एवं आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूची

हैं। आईडी एओ ने ₹ 8,74,52,35,308 की धारा 11(1)(ए) के तहत 15% की कटौती मंजूर नही की। उक्त आदेश के विरूद्ध ट्रस्ट द्वारा सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की हैं। जिनका निपटान लंबित हैं।

निर्धारण वर्ष 2020–21 और निर्धारण वर्ष 2021–22 के लिए ट्रस्ट ने क्रमशः ₹ 82,99,98,551 और ₹ 53,78,45,340 की वापसी का दावा करते हुए आय का रिटर्न दाखिल किया है। इन वर्षों का मूल्यांकन लंबित हैं।

5.2 अप्रत्यक्ष कराधान

क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय, चेन्नई ने दिनांक 14.10.2014 के कारण बताओ नोटिस के माध्यम से यह स्पष्टीकरण मांगा था कि वित्त वर्ष 2009–10 से 30.06.2012 तक की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (जेडजेडजेडक्यू) के साथ पठित धारा 65(104सी) के तहत ''व्यापार या वाणिज्य हेतु सहायता सेवा'' के रूप में विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए और तदनुसार ₹ 79,68,11,936/– के सेवा कर की मांग नहीं की जानी चाहिए और उनसे वित्त अधिनियम की धारा 75 के तहत ब्याज सहित वसूल की जानी चाहिए और वित्त अधिनियम की धारा 76, 77 और 78 के तहत जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। उसी के प्रत्युत्तर में, ट्रस्ट ने 17.12.2014 को लिखित प्रस्तुति दी और 17.04.2015 और 06.12.2018 को जीएसटी और सीएक्स, भिवंडी के आयुक्त के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया, जिन्होंने तदोपरांत लागू ब्याज और जुर्माने के साथ सेवा कर ₹ 79,68,11,936/– की मांग की पुष्टि करते हुए दिनांक 28.05.2019 को मूल रूप में आदेश के तहत एससीएन का निर्णय सुनाया। ट्रस्ट ने ₹ 5,97,60,896/– की पूर्व–जमा राशि का भुगतान करके दिनांक 29.10.2019 को उपरोक्त ओआईओ के विरुद्ध सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई के समक्ष अपील करने की तरजीह दी है, जिस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।

ख) सेवा कर अधिनियम, 1994 के नियम 5ए के तहत वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि के लिए ट्रस्ट के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा की गई। अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आधार पर, सहायक आयुक्त, सेवा कर, मुंबई ने दिनांक 18.04.2016 को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए ट्रस्ट से निम्न कार्रवाइयां क्यों नहीं की जानी चाहिए, के बारे में पूछताछ की है–

1. मैसर्स सिडबी के साथ स्टाफ संबंधी साझेदारी की गतिविधि को ''व्यवसाय सहायता सेवा'' के तहत वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए और ब्याज और जुर्माना के साथ सेवा कर ₹ 52,156/– की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए;

2. विकास आयुक्त से प्राप्त अग्रिमों के अप्रयुक्त भाग पर धारा 75 के अंतर्गत ब्याज सहित सेवा कर ₹ 1,74,760/– की मांग एवं वसूली नहीं की जानी चाहिए।

ट्रस्ट द्वारा दिनांक 23.08.2016 को इसका प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात, उप सेवा कर आयुक्त ने पत्र दिनांक 24.03.2017 के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या खंड ख) के उप–खंड 1) और 2) के तहत यहां उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में, वही प्रथा 2015 के बाद भी जारी रही। इसके प्रत्युत्तर ट्रस्ट द्वारा दिनांक 18.04.2017 के पत्र के माध्यम से दाखिल किया गया। एससीएन की व्यक्तिगत सुनवाई 04.03.2021 और 25.03.2022 को उपायुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (डिवीजन IV), मुंबई के समक्ष हुई थी।

एससीएन का निपटारा करने के लिए अधिनिर्णय आदेश की प्रतीक्षा है।

ग) सीजीटीएमएसई को दिनांक 22.07.2016 को सेवा कर आयुक्त लेखापरीक्षा–II, मुंबई से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें दिनांक 30.06.2012 से पूर्व जारी डीएएन पर सेवा कर का भुगतान न करने के लिए सेवा कर राशि ₹ 1,78,47,373/– एवं उस पर लागू ब्याज एवं जुर्माने की मांग की गई थी, किंतु ऐसे डीएएन के संबंध में शुल्क दिनांक 01.07.2012 के बाद प्राप्त हुआ था। इसके प्रत्युत्तर में ट्रस्ट द्वारा दिनांक 23.08.2016 को लिखित निवेदन प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 24.03.2021 को संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई पूर्व आयुक्त एक्स प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें भाग लिया गया। विभाग ने आदेश दिनांक 31.01.2021 द्वारा ट्रस्ट के विरुद्ध प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। विरोधात्मक आदेश में ट्रस्ट ने दिनांक 13.09.2021 को केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त (अपील) के समक्ष पूर्व – जमा राशि रु. 13,38,555/– इसके अलावा, ट्रस्ट ने 17.03.2022 को लिखित सबमिशन जमा किया है। अपील के निस्तारण के अधिनिर्णय आदेश की प्रतीक्षा है।

घ) जुलाई 2012 से जून 2014 तक की अवधि हेतु ₹ 1,07,71,826/– की राशि हेतु जम्मू और कश्मीर में स्थित एमएलआई को प्रदत्त सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर की वापसी के दावे के संबंध में सहायक आयुक्त (रिफण्ड–II), सेवा कर, मुंबई के ओआईओ के विरुद्ध प्रथम अपील की तरजीह प्रस्तुत की गई, जिसका निपटान आयुक्त (अपील) सीजीएसटी द्वारा दिनांक 28.08.2018 की अपील में उनके आदेश के तहत न्यास के पक्ष में किया गया, जो धनवापसी के उनके दावे के समर्थन में न्यास द्वारा प्रस्तुत किए

अनुसूची

तुलन पत्र एवं आय और व्यय खाते के भाग के रूप में अनुसूची

जाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात धनवापसी की अनुमति प्रदान करने के निर्देष के साथ मामले को मूल निर्णायक प्राधिकारी के पास वापस भेजने से संबंधित था। मूल प्राधिकारी से ट्रस्ट के धनवापसी दावे को संसाधित करने के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

ङ) डीएएन के आधार पर अग्रिम रूप से भुगतान किए गए सेवा कर के संबंध में मार्च–जून, 2017 की अवधि के लिए ₹ 7,54,06,280/– की वापसी का दावा करने के लिए दिनांक 02.04.2018 को रिफंड आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए अंततः कोई गारंटी सेवाएं प्रदान नहीं की गईं और जिसे देय सेवा कर के विरुद्ध समायोजित भी नहीं किया जा सकता था। इसे सहायक आयुक्त सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मण्डल–I, मुंबई द्वारा दिनांक 07.12.2018 को मूल आदेश के तहत निरस्त कर दिया गया। ट्रस्ट ने दिनांक 07.02.2019 को उपरोक्त ओआईओ के विरुद्ध माननीय सेवा कर आयुक्त (अपील)–II, मुंबई के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। इसके अलावा, दिनांक 20.08.2020 के मार्फत आयुक्त (अपील–I) जीएसटी और सीएक्स, मुंबई द्वारा विस्तृत सत्यापन के अधीन परिणामी राहत के साथ अपील की अनुमति दी गई। प्राधिकरण से ट्रस्ट की धनवापसी दावे को संसाधित करने हेतु दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

च) सेवा कर नियम, 1994 के नियम 5ए के तहत 2016–17 से जून–2017 तक की अवधि के लिए ट्रस्ट के रिकॉर्ड पर सेवा कर लेखापरीक्षा के संचालन के आधार पर उपायुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल–IV, मुंबई पूर्व आयुक्तालय निम्नलिखित के संबंध में स्पष्टीकरण मांग रहा हैः

i. मैसर्स पाथ इंफोटेक को भुगतान करते समय काटे गए दंड शुल्क पर ₹ 40,330/– रुपये का सेवा कर क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए, इसे वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V की धारा 66ई के उप–खंड (ई) के तहत घोषित सेवा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

ii. सेवाओं के छूट वाले टर्नओवर के संबंध में सामान्य सेनवेट क्रेडिट के कम रिवर्सल के लिए लागू ब्याज के साथ ₹ 137182 की वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए।

इसके जवाब में लिखित सबमिशन 18.11.2021 को दायर किया गया है। इसके बाद, आज की तारीख तक पीएच के अधिनिर्णय के लिए तारीख तय करने या एससीएन को छोड़ने के लिए कोई और संचार प्राप्त नहीं हुआ है।

6. ट्रस्ट ने ऋणों में चूक के कारण अनुमानित परिव्यय की बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। तद्नुसार, अपनी रिपोर्ट में बीमांकक द्वारा सुझाया गया अतिरिक्त प्रावधान यथा 31.03.2022 को ₹ 2,321.90 करोड़ है। ऐसे दावों के लिए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है।

राशि (₹)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1 अप्रैल को प्रारंभिक राशि	52,17,11,91,147	38,47,38,05,854
घटाएँः वर्ष के दौरान भुगतान किया गया दावो	12,27,38,90,742	7,03,30,14,707
जोड़ेंः वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	23,21,90,00,000	20,73,04,00,000
31 मार्च को अंतिम शेष	63,11,63,00,405	52,17,11,91,147

7. जहां कहीं आवश्यक हुआ, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित, पुनः वर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते पटेल एंड देवधर
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई फर्म पंजी सं 107644 डब्ल्यू

कृते बोर्ड न्यासी की ओर से

ह/–
(दीपा एम भिड़े)
साझेदार
आईसीएआई फर्म पंजी सं 49616

ह/–
(संदीप वर्मा)
सदस्य सचिव

ह/–
(सिवसुब्रमणियन रमन, आईए एंड एएस)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13 सितंबर, 2022